

लेखों का वार्षिक विवरण 2023-24



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र
**भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं
विनिर्माण संस्थान, जबलपुर**
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

हुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट ऑफिस खमरिया, जबलपुर - 482 005 (म.प्र.)



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

लेखों के वार्षिक वित्तीय खाते 2023-24

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	तुलन पत्र	1
2.	आय और व्यय खाता	2
3.	अनुसूची- 1 समेकित कोष/पूंजी निधि	3
4.	अनुसूची- 1.1 पूंजीगत निधि	4
5.	अनुसूची- 1.2 समेकित आंतरिक निकाय निधि	5
6.	उप अनुसूची- 1.2ए समेकित आंतरिक निकाय निधि	6
7.	उप अनुसूची- 1.2बी कैपिटल फंड परियोजना पूंजी	6
8.	अनुसूची-2 निर्दिष्ट / चिह्नित / संस्था का प्राभूत कोष	7
9.	अनुसूची-3 चालू दायित्व एवं प्रावधान	8
10.	अनुसूची-3ए.1 प्रायोजित परियोजनाएं	9-12
11.	अनुसूची-3ए.2 प्रायोजित परियोजनाएं - अन्य	13-14
12.	अनुसूची-3बी प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति	15
13.	अनुसूची-3सी भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान-योजना	16
14.	अनुसूची-4 समेकित अचल संपत्ति	17
15.	अनुसूची-4ए अचल संपत्ति योजना	18-23
16.	अनुसूची- 4बी (परियोजना निधि से अचल संपत्ति)	24
17.	अनुसूची- 4सी (परियोजना निधि में से अचल संपत्ति)	24
18.	अनुसूची- 5 निवेश निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से	25
19.	अनुसूची- 6 अन्य निवेश	26
20.	अनुसूची- 7 मौजूदा परिसंपत्तियां	27
21.	अनुसूची- 8 ऋण, अग्रिम और जमा राशियाँ	28
22.	अनुसूची-9 शुल्क/अभिदान	29
23.	अनुसूची-10 अनुदान/सब्सिडी (अविकल्पी अनुदान प्राप्त) योजना	30
24.	अनुसूची-11 निवेश से आय	31
25.	अनुसूची- 12 अर्जित ब्याज	32
26.	अनुसूची- 13 अन्य आय	33



क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
27.	अनुसूची- 14 पूर्व अवधि की आय	34
28.	अनुसूची- 15 कर्मचारियों को भुगतान और हित लाभ स्थापना व्यय- योजना	35
29.	अनुसूची-15ए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ	36
30.	अनुसूची- 16 शैक्षणिक व्यय- योजना	37
31.	अनुसूची- 17 प्रशासनिक और सामान्य व्यय	38
32.	अनुसूची- 18 परिवहन व्यय- योजना	39
33.	अनुसूची- 19 मरम्मत और रखरखाव- योजना	40
34.	अनुसूची- 20 वित्त लागत	41
35.	अनुसूची- 21 अन्य व्यय	42
36.	अनुसूची- 22 पूर्व अवधि व्यय	43
37.	अनुसूची- 23 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	44-48
38.	अनुसूची- 24 आकस्मिक देयताएं और खातों हेतु नोट	49-55
39.	प्राप्ति और भुगतान खाता	54-56
40.	एनपीएस टियर- 1 खाते का आर्थिक चिट्ठा	57
41.	एनपीएस टियर- 1 खाते का आय और व्यय लेखा	58
42.	एनपीएस टियर- 1 खाते का प्राप्ति और भुगतान खाता	59
43.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान (समेकित)	60-62
44.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवर्ती सामान्य अनुदान (समेकित)	63-64
45.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवर्ती सामान्य अनुदान (सामान्य श्रेणी)	65-66
46.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवर्ती सामान्य अनुदान (अनुसूचित जाति श्रेणी)	67-68
47.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवर्ती सामान्य अनुदान (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)	69-70
48.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवर्ती अनुदान वेतन (समेकित)	71-72
49.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवर्ती अनुदान वेतन (सामान्य श्रेणी)	73-74
50.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवर्ती अनुदान वेतन (अनुसूचित जाति श्रेणी)	75-76
51.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवर्ती अनुदान वेतन (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)	77-78
52.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - अनावर्ती अनुदान - पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण - समेकित	79-80
53.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - अनावर्ती अनुदान - पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण - सामान्य श्रेणी	81-82
54.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - अनावर्ती अनुदान - पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण - अनुसूचित जाति श्रेणी	83-84
55.	उपयोगिता प्रमाण पत्र - अनावर्ती अनुदान - पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण - अनुसूचित जनजाति श्रेणी	85-86
56.	पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन (एसएआर)	87-92



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

राशि रुपये में

निधियों के स्रोत	अनुसूचियां	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
कार्पस/ कैपिटल निधि	1	4,02,85,10,919	3,76,71,47,507
नामित / निर्धारित / बंदोबस्ती कोष	2	-	-
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	3	53,38,95,992	41,20,43,016
कुल		4,56,24,06,911	4,17,91,90,524
धन का उपयोग			
अचल संपत्तियां	4		
मूर्त संपत्ति		3,03,29,52,083	3,08,76,16,653
अमूर्त संपत्ति		44,45,736	44,76,274
कैपिटल कार्य - प्रगतिशील		9,95,78,898	3,15,76,401
निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश	5		
दीर्घावधि		-	-
लघु अवधि		-	-
निवेश-अन्य	6	-	-
वर्तमान संपत्ति	7	1,37,75,56,186	95,89,70,814
ऋण, अग्रिम और जमा	8	4,78,74,008	9,65,50,381
कुल		4,56,24,06,911	4,17,91,90,524
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
आकस्मिक देयताएं व खातों के लिए नोट	24		

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

आय और व्यय खाता
अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	राशि रुपये में विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022- 23)
ए आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	22,03,59,617	19,06,32,409
अनुदान / सव्तिडी	10	55,21,85,768	51,65,00,000
निवेश से आय	11	-	-
अर्जित ब्याज	12	6,01,62,916	3,67,56,939
अन्य आय	13	72,08,589	35,24,593
पूर्व अवधि आय	14	-	-
कुल (ए)		83,99,16,891	74,74,13,941
बी व्यय			
कर्मचारियों के भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	15	28,13,90,016	30,82,11,604
शैक्षणिक खर्च	16	8,88,75,128	8,98,56,702
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	17,17,84,816	15,40,34,849
परिवहन खर्च	18	35,25,963	25,44,286
मरम्मत और रख रखाव	19	65,52,443	1,48,39,956
वित्तीय खर्च	20	57,402	10,898
मूल्यहास	4	11,80,18,679	11,78,46,385
अन्य खर्च	21	-	-
पूर्व अवधि व्यय	22	7,19,099	74,824
कुल (बी)		67,09,23,546	68,74,19,504
आय से अधिक व्यय (ए-बी) की शेष राशि		16,89,93,345	5,99,94,437
संस्थान कैपिटल निधि में स्थानांतरित			
आंतरिक आय (शुद्ध लघु अनुदान)		28,77,31,122	17,79,15,646
भवन निर्माण निधि		-	-
अधिशेष (घाटा) जिसे सामान्य निधि में स्थानांतरित किया गया		28,77,31,122	17,79,15,646
अधिशेष (घाटा) जिसे संचित निधि में स्थानांतरित किया गया		(11,87,37,778)	(11,79,21,209)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
आकस्मिक देयताएं और खातों के लिए नोट	24		

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची - 1 समेकित कोष / पूंजी निधि

विवरण	अनुसूची	राशि रुपये में	
		वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष- 2023-24)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष- 2022-23)
वर्ष का प्रारंभिक शेष		3,76,71,47,507	3,66,44,27,887
वृद्धि: आंतरिक संग्रह निधि में अंशदान	1.2	28,77,31,122	17,79,15,646
कमी: लघु पूंजीगत अनुदान आंतरिक कोष से	1.2	-	(10,40,02,655)
वृद्धि: अनुदान भारत सरकार से पूंजी व्यय के लिए उपयोग सीमा तक	1.1	8,89,70,054	4,00,00,000
वृद्धि आंतरिक कोष से पूंजी कोष के लिए योगदान	1.1	-	10,40,02,655
वृद्धि: निर्धारित कोष से संपत्ति खरीदी	1.2B	34,00,013	27,25,183
वृद्धि: प्रायोजित परियोजना के बाहर संपत्ति खरीदी जहां स्वामित्व संस्था में हो			
कमी: वर्ष के दौरान निधि से बनाई गई संपत्तियों का अपलेखन / मूल्यहास		(11,87,37,778)	(11,79,21,209)
वर्ष का अंतिम शेष		4,02,85,10,919	3,76,71,47,507

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक

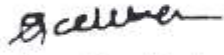


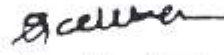
पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

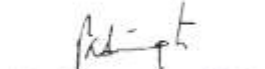
अनुसूची- 1.1 पूजीगत निधि

राशि रुपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
वर्ष का प्रारंभिक शेष	3,08,86,11,008	3,06,25,29,562
वृद्धि आंतरिक संग्रह निधि में अशंदान	8,89,70,054	4,00,00,000
वृद्धि आंतरिक कोष से पूंजी कोष के लिए योगदान	-	10,40,02,655
आय व्यय खाते से स्थानांतरित घाटा	(11,87,37,778)	(11,79,21,209)
वर्ष का अंतिम शेष	3,05,88,43,285	3,08,86,11,008


(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)


(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव


(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक

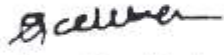


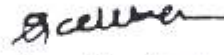
पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

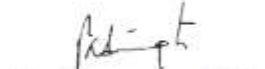
अनुसूची- 1.2 समेकित आंतरिक कॉर्पस निधि

राशि रुपये में

व्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
वर्ष की शुरुआत में संतुलन रखें	67,85,36,497	60,18,98,323
जोड़ें: आंतरिक निधि में योगदान	28,77,31,122	17,79,15,646
कम: आंतरिक कोष से प्राप्त लघु पूंजी अनुदान	-	(10,40,02,655)
जोड़ें: निर्धारित/प्रायोजित परियोजना निधि से खरीदी गई संपत्ति	34,00,013	27,25,183
साल के अंत में संतुलन	96,96,67,632	67,85,36,497


(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)


(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव


(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

उप अनुसूची- 1.2ए संस्थान आंतरिक कॉर्पस फंड

राशि रुपये में

व्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
वर्ष की शुरुआत में संतुलन रखें	58,04,40,053	50,65,27,061
जोड़ें: सामान्य निधि में योगदान	28,77,31,122	17,79,15,646
कम: आंतरिक कोष से प्राप्त लघु पूंजी अनुदान	-	(10,40,02,655)
साल के अंत में संतुलन	86,81,71,175	58,04,40,053

उप अनुसूची- 1.2बी परियोजना पूंजी निधि

व्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
वर्ष की शुरुआत में संतुलन रखें	9,80,96,445	9,53,71,262
जोड़ें: प्रायोजित परियोजना से पूंजीगत निधि/अचल संपत्तियों के लिए योगदान	34,00,013	27,25,183
साल के अंत में संतुलन	10,14,96,458	9,80,96,445

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 2 नामित / निर्धारित / बंदोबस्ती निधि

राशि रुपये में

ब्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए) निधियों का प्रारंभिक शेष	0	0
बी) निधि में वृद्धि:		
I) दान/अनुदान	0	0
II) निवेश से आय	0	0
III) परियोजना अग्रिम	0	0
IV) संस्थान निधि से अग्रिम	0	0
कुल (ए+बी)	0	0
सी) निधि का उपयोग		
I) पूंजीगत व्यय		
II) राजस्व व्यय		
ए) रिफंड/समायोजित	0	0
बी) किराया	0	0
ग) अन्य आवर्ती व्यय	0	0
III) परियोजना व्यय	0	0
IV) आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरण	0	0
कुल (सी)	0	0
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (ए+बी-सी)	0	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 3 – वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान

राशि रुपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए चालू दायित्व		
1 कर्मचारियों की जमा राशि		
2 छात्रों से जमा	13,94,73,790	7,53,81,280
ए) देय अवधान राशि	1,40,22,506	1,19,06,506
बी) अग्रिम फीस वर्ष के लिए प्राप्त	6,98,87,855	5,06,95,440
सी) अतिरिक्त शुल्क वापसी	4,22,31,429	18,09,834
डी) छात्र अन्य देयताएं	11,58,000	11,58,000
ई) छात्र कल्याण कोष	79,39,500	65,89,500
एफ) पूर्व छात्र संघ सदस्यता	42,34,500	32,22,000
3 विविध लेनदार	1,38,38,416	97,95,314
4 जमा-अन्य (ईएमडी सुरक्षा जमा) सहित	1,24,17,551	95,21,179
5 वैधानिक देनदारियां (जीपीएफ, टीडीएस, शौचालय टैक्स, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस):	40,56,118	79,79,209
ए) नई पेंशन अंशदान	39,23,091	28,27,830
6 अन्य चालू दायित्व	14,24,30,278	11,70,72,105
ए) प्रायोजित परियोजनाओं के खिलाफ प्राप्तियां (अनुसूची 3 ए)	3,65,12,845	4,59,55,326
बी) प्रोजेक्ट ओवरहेड		
i) प्रोजेक्ट खाते से प्राप्त परोपकार निधि	9,22,661	8,35,455
ii) परियोजना ओवरहेड से केंद्रीय प्रशासनिक निधि	75,376	18,027
iii) अनुशासन विकास प्रोजेक्ट खाते से प्राप्त धनराशि	35,48,450	32,07,618
iv) प्रोजेक्ट खाते से प्राप्त संस्थान विकास निधि	1,13,29,535	1,03,80,790
v) विविध परियोजना खाते का दायित्व	6,51,232	5,51,232
vi) परियोजना से प्रावधान	88,230	16,61,275
vii) पीडीए देय	44,68,903	40,98,574
viii) रीवा रेजीडेंसी की लाइसेंस फीस	1,220	4,120
ix) देय परियोजना राशि	3,28,605	5,34,594
सी) अन्य निधि (केंद्रीय क्षेत्र/बाह्य छात्रवृत्ति)	10,76,322	13,74,822
डी) बाह्य छात्रवृत्ति देय	11,71,950	1,45,410
इ) मेस शुल्क	-	11,37,493
एफ) हॉल प्रबंधन खाता	-	1,20,19,800
जी) देय छात्र लाभ खाता (जिमखाना)	21,020	89,61,000
एच) टीबीआई केंद्र के लिए राशि	3,71,77,663	2,55,79,788
आई) अप्रयुक्त अनुदान	2,11,44,177	-
जे) अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज	22,11,321	6,06,781
के) कार्यशाला देय (रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता)	7,05,139	-
एल) सहायता एवं छात्रवृत्ति देय	2,09,95,628	-
योग (ए)	31,61,39,244	21,45,97,708
बी प्रावधान		
1. उपदान	9,23,77,967	7,85,03,855
2. संचित अवकाश नकदीकरण	12,26,54,478	11,12,98,362
3. देय व्यय	27,24,303	76,43,091
योग (बी)	21,77,56,748	19,74,45,308
कुल योग (ए + बी)	53,38,95,992	41,20,43,016

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

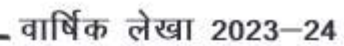
अनुसूची- 3ए.1 प्रायोजित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान अनुदान/ अग्रिम	ब्याज	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधि	पूँजीगत व्यय	राजस्व व्यय	वापस की गई राशि/ समावोचित/हस्तांतरण	वापस किया गया ब्याज	कुल व्यय	राशि रुपये में	
												10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6+7+8+9	5-10	
						1+2+3+4							
1	वृद्धिशील शीट निर्माण के माध्यम से प्री फॉर्म बटक के संकलन के लिए प्रक्रिया विकास (प्रो.पूनीत टंडन)	1,87,910	0	3,038	0	1,90,948	0	1,90,948	0	0	1,90,948	-	-
2	डीआईसी हब/स्पोक मॉडल की स्थापना के लिए राष्ट्रीय पहल	21,06,070	0	77,062	348	21,83,480	49,899	1,77,996	0	0	2,27,895	19,55,585	
3	अल्ट्रा लो पावर अनुप्रयोगों के लिए नैनोवायर इलेक्ट्रिकली डोपेड हेटेरो मटेरियल टनल फील्ड इफेक्ट ट्रेन्सिस्टर (टीएफईटी) का उपयोग करके सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलैटर का कार्यान्वयन	18,91,399	0	43,493	343	19,35,235	0	149	0	0	149	19,35,086	
4	उच्च संवेदनशील एमईएमएस पीजेरेसिस्टिव माइक्रोकैपिटिवैटर सेंसर	1,92,542	0	4,907	35	1,97,484	0	15	0	0	15	1,97,469	
5	गोपनीयता बढ़ाने वाली प्रतिसंहरणीय बायोमेट्रिक पहचान (PERBI)	1,95,553	0	3,318	0	1,98,871	0	1,98,871	0	0	1,98,871	-	-
6	डाइलेस विनिर्माण के लिए अनुकूल दो तरफा वृद्धिशील निर्माण प्रक्रिया का विकास	20,90,660	0	33,786	0	21,24,446	0	0	21,24,446	0	21,24,446	-	-
7	कंप्यूटर कोड प्रभावित के लिए विच्छेदन उत्पाद (एफपी) प्रतिधारण के लिए यंत्रित मॉडल विकास	97,689	0	1,782	0	99,471	0	0	99,471	0	99,471	-	-
8	बुजुर्गों के लिए उत्पाद डिजाइन में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप - छुत्ता और छड़ी डिजाइन पर मानले का अध्ययन	8,392	0	319	2	8,713	0	1	0	0	1	8,712	
9	फिस्ट कार्यक्रम	2,396	0	93	0	2,489	0	0	0	0	-	2,489	
10	फिस्ट कार्यक्रम	9,73,907	0	37,043	180	10,11,130	0	79	0	0	79	10,11,051	
11	एयरबोन अनुप्रयोगों के लिए अनुरूप चरणबद्ध सरणी एंटीना का डिजाइन, सिमुलेशन और विकास	883	0	34	0	917	0	917	0	0	917	-	-
12	वास्तविक समय के आधार पर एयरलाइन व्यवधान के प्रभाव को कम करने के लिए गणितीय मॉडल का विकास	54,087	0	1,935	9	56,031	0	4	0	3,701	3,705	52,326	
13	गैर-वाष्पशील स्मृति अनुप्रयोग के लिए गैलियम पतलीफिल्मों में प्रतिरोधक स्विचिंग का अध्ययन	1,090	0	43	0	1,133	0	0	0	0	-	1,133	



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

14	बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से बाहरी प्रोडिक्ट्स के तहत सक्रिय तैराकी सूक्ष्म जीवों के मॉडलिंग निलंबन	6,29,730	0	16,049	115	6,45,894	0	50	0	0	50	6,45,844
15	गणितीय मॉडलिंग के माध्यम से जैवसंवहन के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोग	2,84,494	0	10,096	49	2,94,639	0	21	0	18,868	18,889	2,75,750
16	सिस्टेमिक डिवाइस अनुप्रयोगों के लिए एसपी2/एसपी3 एन कार्यात्मक GaN नैनोसिस्टम की जांच	71,281	0	743	0	72,024	0	35,000	37,024	0	72,024	-
17	समूह III-V N कार्बनरी सेमीकंडक्टर कोटिंग डॉट्स थ्रू-एंग डीसीटी फंक्शनल थोरी और के डॉट विधि में इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल गुणों पर अध्ययन	90,446	0	3,343	16	93,805	0	7	0	2,946	2,953	90,852
18	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति/अध्ययनवृत्तियों पर केंद्रीकृत डेटाबेस का डिजाइन और विकास	15,331	0	12,238	4	27,573	0	2	0	3,984	3,986	23,587
19	बेहतर सीखने के लिए कक्षा के माहौल में एगोनोमिक हस्तक्षेप	3,49,934	0	13,275	64	3,63,273	0	28	0	0	28	3,63,245
20	परियोजना/2020-2021	15,28,870	0	58,148	282	15,87,300	0	122	0	0	122	15,87,178
21	ईसीजी सिग्नल का उपयोग करके मधुमेह के निदान के लिए हार्डवेयर प्रोटोटाइप के विकास के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन	4,54,447	0	14,750	0	4,69,197	0	9,997	4,48,100	11,100	4,69,197	-
22	लॉमिजेटिक फोल्ड सेंसर अनुप्रयोग के लिए इलेक्ट्रोडोसिस्टेड निकल आधारित थिनफिल्म मिश्र धातु का एमआई अध्ययन	5,15,073	0	2,891	0	5,17,964	0	0	5,17,964	0	5,17,964	-
23	डिजिटल सिग्नल सुरक्षा के लिए कम्यूटेबल इंटेलिजेंस क्षमताओं की जांच	24,269	0	900	0	25,169	0	0	25,169	0	25,169	-
24	आधार का डिजाइन और विकास (हिमालयी क्षेत्र विश्लेषण, मूल्यांकन और बचाव के लिए ऑटोनोमस ड्रोन)	41,264	0	1,530	0	42,794	0	0	0	0	41,264	-
25	कॉम्पैक्ट वाइडबैंड और कंपैक्ट अनुप्रयोगों के लिए एल प्रोफाइल डाइलेक्ट्रिक रेजोनेटर एंटेना	7,93,342	0	16,433	104	8,09,879	0	2,21,671	0	0	2,21,671	5,88,208
26	आईओटी-डेटा विश्लेषण के आधार पर ताजा पानी मोती संस्कृति इकाई का विकास	1,50,919	0	3,491	12	1,54,422	43,435	33,807	0	11,302	88,544	65,878
27	साइबर भौतिक प्रणालियों में बीओटी रोकथाम	17,16,211	5,87,200	65,267	347	23,69,025	0	4,16,486	0	0	4,16,486	19,52,539
28	प्रोजेक्ट/21-22/सीएसआईआर/डी एन आर जीना	43,816	0	1,067	5	44,888	0	6,002	0	12,732	18,734	26,154
29	कम तापमान वाले ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल (एसओएफसी) के लिए एलआई डोपेड जेडएनओ आधारित इलेक्ट्रोलाइट का विकास	5,57,056	5,50,000	8,860	77	11,15,993	24,687	6,55,595	0	0	6,80,282	4,35,711
30	प्रोजेक्ट/21-22/यूजीसी-डीएई/डी. रवि पन्वार	46,532	0	1,772	9	48,313	0	4	0	0	4	48,309
31	प्रोजेक्ट/21-22/एसआईआरबी/डी. आर सीधराम	8,68,699	0	18,288	121	8,87,109	0	2,05,718	0	0	2,05,718	6,81,391



32	प्रोजेक्ट/21-22/डीएसटी (डीएसआईआर)/डीआर. वी.के. जैन	11,089	0	0	0	11,089	0	0	0	11,089	11,089	-
33	प्रोजेक्ट/21-22/एसईआरबी/डॉ. वी.के. गुप्ता	13,22,337	7,50,000	26,428	195	20,98,960	5,27,190	4,23,481	0	51,078	10,01,749	10,97,211
34	प्रोजेक्ट/21-22/एजीसी-डीआई/डॉ. पंकज शर्मा	4,35,533	0	13,861	62	4,49,456	0	98,857	0	0	98,857	3,50,599
35	प्रतिबंधित परिधि में एग्जीक्यूटिव और गतिविधि निगरानी के लिए यूएवी सहायता प्राप्त वाई-फाई जियोफेंसिंग (डॉ. मुनेश सिंह)	6,43,400	8,08,908	32,120	141	14,84,569	6,29,724	48,942	0	12,998	6,91,664	7,92,905
36	फिस्ट डिजाइन	70,794	0	390	0	71,184	0	0	0	71,184	71,184	-
37	मध्य और दक्षिणी भारत की जनजातियों के बीच प्रचलित न्याय: स्वास्थ्य प्रणाली में नीतियों की पहुंच, उपयोग और उनकी बाधाएँ (डॉ. सुनील अग्रवाल)	3,94,334	2,20,000	9,247	59	6,23,640	63,623	2,27,845	0	0	2,91,468	3,32,172
38	क्लस्टरिंग के लिए एक मॉड्यूलिक स्थान में श्रेणीबद्ध और सतत डेटा के लिए सूचना एन्ट्री-आधारित दूरी उपयोग का अध्ययन और विकास (डॉ. सरबन कुमार मोहंती)	2,01,349	0	4,825	1	2,06,175	1,80,790	18,900	0	0	1,99,690	6,485
39	"MIMOand में क्रांति संचार की जांच सहकारी प्रणालियाँ: भविष्य के संचार के लिए एक रोडमैप (डॉ. अतुल कुमार)"	6,76,585	0	15,093	87	6,91,765	1,17,490	83,634	0	0	2,01,124	4,90,641
40	घर्षण हलचल इंजीनियरिंग और उनके तक्षण वर्णन के माध्यम से रक्षा अभियोगों के लिए अति सूक्ष्म कण वाली नवीन धातु सामग्री का विकास (डॉ. मनु श्रीवास्तव)	24,69,871	0	50,778	346	25,20,995	0	5,18,557	0	53,589	5,72,146	19,48,849
41	दक्षिण एशिया क्षेत्र में आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों में लिंग अंतर को कम करने के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना: प्रशिक्षण और ई-सामग्री विकास कार्यक्रम (प्रोफेसर ए. ओइसा)	12,68,352	0	16,254	12	12,84,618	0	12,19,197	0	0	12,19,197	65,421
42	व्यक्तिगत वैश्विक भोजन तैयार करने के लिए कम लागत वाली 3डी प्रिंटिंग तकनीक का विकास	13,54,820	9,00,000	37,963	184	22,92,967	5,35,677	7,20,768	0	0	12,56,445	10,36,522
43	उच्च प्रदर्शन डिजिटल एकीकृत सर्किट के लिए जीवन काल विध्वंसनीयता विश्लेषण और शमन तकनीक	0	5,20,000	13,398	27	5,33,425	2,30,100	1,50,334	0	0	3,80,434	1,52,981
44	खाद्य और कृषि उद्योगों के लिए स्वदेशी नवीन स्मार्ट लाइब्रिट सोलर डेयर का डिजाइन और विकास	0	5,34,000	19,399	68	5,53,467	0	1,67,672	0	0	1,67,672	3,85,795
45	मल्टीफेक्टर प्रमाणीकरण के विश्लेषण के लिए तकनीक और टूलकिट	0	19,49,153	34,076	130	19,83,359	3,12,456	9,36,887	0	0	12,49,343	7,34,016
46	विस्तार पर पड़े मरीजों के लिए स्वायत्त विस्तार प्रणाली	0	17,60,000	35,652	205	17,95,857	3,37,430	3,02,037	0	0	6,39,467	11,56,390



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

49	रिमोट लोकेशन में हेल्थकेयर सिस्टम को बढ़ाने के लिए वीसीजी सिस्टम के लिए पुनर्निर्माण तकनीकों का विकास	0	7,03,000	4,132	110	7,07,242	70,242	19,767			90,009	6,17,233
50	परियोजना/विधि, /2023-24/सीएसआईआर	0	1,09,667	2,606	20	1,12,293		9			9	1,12,284
51	3डीमिथ मॉडल स्ट्रेमिंग और क्लाउड विनिर्माण वातावरण में सुरक्षित संचार (पीएफएमएस -32/37 / प्रो. ए.ओड्रा)	0	2,99,000	0	0	2,99,000	0	2,11,894	87,116		2,99,000	-
52	विकलता के कारणों का विश्लेषण करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर की उच्च विकलता दर दर्ज करने वाले विशेष क्षेत्रों का अध्ययन और आईटी प्रौद्योगिकी को लागू करके और इसे मीटरिंग समाधानों के साथ एकीकृत करके इस समस्या को दूर करने का समाधान सुझाएं (पीएफएमएस-1826 डॉ. वी.के.जेन)	0	8,78,275	0	0	8,78,275	24,290	5,45,423	3,08,562		8,78,275	-
53	हाइब्रिड एसिमेट्रिक रोलिंग और इन्कीमेंटल फॉर्मिंग विधियों द्वारा उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए कम वजन वाली नैनोस्ट्रक्चर्ड कार्यात्मक रूप से वर्गीकृत सामग्री का विकास (पीएफएमएस-3237 प्रो. पी.टंडन)	0	18,77,397	0	0	18,77,397		4,19,635	14,57,762	0	18,77,397	-
54	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित लचीली हेल्थकेयर और प्रभावी महामारी प्रबंधन (प्रोफेसर पी.टंडन -पीएफएमएस -1817)	0	10,02,077	0	0	10,02,077		4,82,668	5,19,409	0	10,02,077	-
55	फोटो रूपांतरण दक्षता और स्थिरता वृद्धि (पीएफएमएस 3668) के लिए सीसा रहित सीएस एबी3 परोक्साइट सौर कोशिकाओं की प्रायोगिक और सैद्धांतिक जांच (पीएफएमएस 3668) डॉ. दीप प्रकाश	0	27,27,000	0	0	27,27,000	1,47,980	17,400	25,61,620	0	27,27,000	-
56	विभिन्न प्रतिकूल हमलों और साइबर सुरक्षा के लिए उनके अनुप्रयोगों के खिलाफ गहरे नए नेटवर्क की शक्ति की जांच (पीएफएमएस-3237 डॉ. एस के मोहंती)	0	2,86,000	0	0	2,86,000	0	91,424	1,94,576		2,86,000	-
कुल		2,48,32,756	1,64,61,677	7,72,217	3,769	4,20,70,419	32,95,013	88,58,811	83,81,219	2,64,571	2,08,40,878	2,12,28,011

अक्षय

(एस. डी. गडकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

अक्षय

(एस. डी. गडकर)
कार्यकारी कुलसचिव

अक्षय

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची-अ.2 प्रायोजित परियोजनाएं-अन्य
खाल रहें

क्र.सं	परियोजना का नाम	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अनुदान/अग्रिम	ब्याज	अन्य रसीदें	कुल उपलब्ध निधि	पूँजीगत व्यय	राजस्व व्यय	राशि वापस की गई/समायोजित/स्थानांतरित की गई	ब्याज वापस कर दिया गया	कुल व्यय	जमा शेष
1	देय परामर्श (पी.टंडन)	11,16,602	0	0	24	11,16,626	0	9,79,211	0	0	9,79,211	1,37,415
2	परामर्श देय (वी.के.गुप्ता)	20,309	0	0	4	20,313	0	2	0	0	2	20,311
3	परामर्श (पी.के. जैन)	2,71,136	0	0	48	2,71,184	0	21	0	0	21	2,71,163
4	कर्मचारी कल्याण निधि	70,783	0	0	13	70,796	0	5	0	0	5	70,791
5	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरया पीएचडी योजना (मीडिया लेब एशिया)	4,03,208	0	4,273	2	4,07,483	0	3,93,751	0	0	3,93,751	13,732
6	प्रोजेक्ट/पी कंकर/डीआरडीओ/2017-18	72,283	0	0	13	72,296	0	6	0	0	6	72,290
7	केनागा/वीकेजी/2018-19	4,58,281	0	0	81	4,58,362	0	35	0	0	35	4,58,327
8	प्रोजेक्ट/कॉन्फेंस/आईएससीआरएस/वी के गुप्ता/2018-19	40,603	0	0	7	40,610	0	3	0	0	3	40,607
9	परियोजना/कार्यशाला/पी.छत्रा/बीज-सीबीआईपी/2018-19	3,23,357	0	0	57	3,23,414	0	25	0	0	25	3,23,389
10	परियोजना/सीएसआईआर/आकस्मिक अनुदान छात्र/2018-19	64,008	0	0	4	64,012	0	40,002	0	0	40,002	24,010
11	ई एंड आईसीटी अकादमी	1,57,01,364	0	2,47,325	0	1,59,48,689	0	0	66,49,007	0	66,49,007	92,99,682
12	एमआईपी एक्ट	5,17,105	0	19,379	0	5,36,484	0	0	0	0	0	5,36,484
13	स्टार्टअप केंद्र	5,958	0	166	0	6,124	0	0	0	0	0	6,124
14	परामर्श देय (एच चेल्सादुरई)	14,000	0	0	2	14,002	0	1	0	0	1	14,001
15	सीसीएमटी 2019	87,400	0	0	16	87,416	0	7	0	0	7	87,409
16	सीसीएमटी 2020	11,515	0	0	2	11,517	0	1	0	0	1	11,516
17	सीआईसीटी 2018	28,000	0	0	5	28,005	0	2	0	0	2	28,003
18	देय 2018-19	71,000	0	0	13	71,013	0	5	0	0	5	71,008
19	देय परामर्श (एसएस लॉबा)	12,373	0	0	2	12,375	0	1	0	0	1	12,374
20	कंसल्टेंसी देय (मनीष कुमार बाजपेयी)	81,960	0	0	15	81,975	0	6	0	0	6	81,969
21	देय परामर्श (सचिन कुमार जैन)	2,81,600	1,21,000	0	53	4,02,653	0	1,06,503	0	0	1,06,503	2,96,150
22	देय परामर्श (इरशाद अहमद अंसारी)	424	0	0	0	424	0	0	0	0	0	424
23	देय परामर्श (मालादीन बंसल)	29,661	0	0	0	29,661	0	27,436	0	0	27,436	2,225



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

24	सीएसएबी 2023	0	5,17,293	0	65	5,17,358	0	1,50,028	0	0	1,50,028	3,67,330
25	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (MAI 2021)	78,783	0	0	14	78,797	0	6	0	0	6	78,791
26	देय परामर्श (डॉ. अनिल कुमार)	3,15,424	0	0	10	3,15,434	0	2,61,004	0	0	2,61,004	54,430
27	देय परामर्श (डॉ. एम जेड अंसारी)	500	0	0	0	500	0	0	0	0	-	500
28	प्रोजेक्ट/आईसीएसएसआर डॉक्टरल फेलोशिप/एमएस। ऐडवॉक एम. जी.	1,30,000	1,30,000	0	25	2,60,025	0	1,20,011	0	0	1,20,011	1,40,014
29	विज्ञान परामर्श/2022-23/प्रोफेसर पी टंडन	1,500	0	0	8,000	9,500	0	8,000	0	0	8,000	1,500
30	कार्यशाला (INACOMM 2021)	1,43,941	0	0	26	1,43,967	0	11	0	0	11	1,43,956
31	कंसल्टेंसी 2023-24 (भूवेद गुप्ता 0)		50000		0	50,000		50000			50,000	-
32	कंसल्टेंसी 2023-24 (एम अमरनाथ)		50847		1	50,848		45762			45,762	5,086
33	परामर्श 2023-24 (डॉ. मुनेश सिंह)		74100		0	74,100		72618			72,618	1,482
34	परामर्श 2023-24 (डॉ. वी.के. जैन)		625000		4	6,25,004		600002			6,00,002	25,002
35	कंसल्टेंसी (अविनाश चंद्र पांडे)		50738		9	50,747		4			4	50,743
36	जीआईएन योजना (पीएफएमएस-3356)		608000		0	6,08,000		506667		1,01,333	6,08,000	-
37	डीएसटी इन्फायर फेलोशिप		2200000		0	22,00,000		1603757		596243	22,00,000	-
38	आईईईई सम्मेलन (मातादीन बंसल)		150000		27	1,50,027		12			12	1,50,015
39	सम्मेलन एसईआरबी (श्री मनीष सिंह)		117664		21	1,17,685		9			9	1,17,676
40	सम्मेलन एसईआरबी (श्री आकाश पटनायक)		107616		19	1,07,635		8			8	1,07,627
41	एसईआरबी कार्यशाला (मनोज सिंह परिहार)		500000	4993	1	5,04,994		501773			5,01,773	3,221
42	एसईआरबी कार्यशाला (मनु श्रीवास्तव)		500000	33	89	5,00,122		38			38	5,00,084
43	एसईआरबी कार्यशाला (मातादीन बंसल)		500000	32	89	5,00,121		38			38	5,00,083
44	कार्यशाला/डीआरडीओ/एम बंसल		50000		9	50,009		4			4	50,005
45	एसईआरबी कार्यशाला (पंकज शर्मा)		500000		89	5,00,089		38			38	5,00,051
43	देय परामर्श (डॉ. विजयपाल सिंह राठौड़)	6,00,000	0	22,030	88	6,22,118	1,05,000	20,338	0	0	1,25,338	4,96,780
44	देय परामर्श (डॉ. तुषार चौधरी/2022-23)	1,69,492	0	38,016	1	2,07,509		2,00,001	0	0	2,00,001	7,508
46	सम्मेलन एसईआरबी 2023-24				1,03,554	1,03,554		8			8	1,03,546
	कुल	2,11,22,570	68,52,258	3,36,247	1,12,502	2,84,23,577	1,05,000	56,87,160	73,46,583	0	1,31,38,743	1,52,84,834

अक्षय

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

अक्षय

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

अक्षय

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची-3बी प्रायोजित फेलोशिप और छात्रवृत्ति

राशि रुपये में

विवरण	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2023-24 के दौरान लेनदेन		31.03.2024 को समापन शेष	
	सी.आर.	डी.आर.	सी.आर.	डी.आर.	सी.आर.	डी.आर.
1 सामाजिक न्याय अधिकारिता/जनजातीय मामले मंत्रालय	13,74,822	0	18,86,140	21,84,640	10,76,322	0
कुल	13,74,822	0	18,86,140	21,84,640	10,76,322	0

Excel
(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

Excel
(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

Aditya
(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची-3सी भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान-योजना

राशि रुपये में

	विवरण	चालू वर्ष (FY 2023-24)	पिछले वर्ष (FY 2022-23)
अनुदान: भारत सरकार			
	शेष राशि अग्रेषित की गई	-	55,65,00,000
जोड़ना	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	66,23,00,000	-
जोड़ना	आंतरिक कोष से लघु अनुदान प्राप्त करें	-	10,40,02,655
	आंतरिक आय से लघु अनुदान प्राप्त करें	-	5,29,98,295
	कुल (ए)	66,23,00,000	71,35,00,950
	उपलब्ध निधि ए	66,23,00,000	71,35,00,950
कम	वेतन के लिए ऋण की वापसी	-	-
कम	पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जाता है	8,89,70,054	14,40,02,655
	अनुदान से उपयोग किया गया		4,00,00,000
	आंतरिक कोष से उपयोग किया गया		10,40,02,655
कम	राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	55,21,85,768	56,94,98,295
	अनुदान से उपयोग किया गया		51,65,00,000
	आंतरिक आय से उपयोग किया गया		5,29,98,295
	कुल (बी)	64,11,55,823	71,35,00,950
	सरकार को वापसी योग्य शेष राशि (ए-बी)	2,11,44,177	-

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची - 4 (समेकित अवल संपत्तियों) - योजना

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के दौरान				मूल्यमान				रॉयल्टी		
		वर्ष की शुरुआत में तक / मूल्यमान	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यमान	वर्ष की शुरुआत में के रूप में	वर्ष के लिए	वर्ष के लाभोपजन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल	वर्ष के अंत में	चिह्नित वर्ष के अंत में
		01-04-2023	(2023-24)	(2023-24)	31-03-2024	01-04-2023	(2023-24)	(2023-24)	(2023-24)	31-03-2024	31-03-2024	31-03-2023
1	अवत संपत्तियाँ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	अवत संपत्ति											
ए	संस्थान का मूल्य मान (अनुसूची-ए देखें)	4,03,61,47,062	5,87,75,286	-	4,09,48,22,366	1,04,67,78,878	11,71,86,252	-	-	1,16,39,65,129	2,99,09,56,638	2,99,09,67,603
बी	परियोजना निधि से अवत संपत्तियाँ (अनुसूची-बी देखें)	10,76,75,961	34,00,013	-	11,10,76,004	95,79,547	-	-	-	95,79,547	10,14,96,457	9,80,96,444
सी	व्यावसायिक विकास निधि से अवत संपत्तियाँ (अनुसूची-सी देखें)	43,72,265	4,15,414	-	47,87,679	42,01,159	69,032	-	-	42,70,191	4,98,968	1,52,606
	वर्ष के अंत का कुल (I)	4,14,81,95,338	6,25,90,713	-	4,21,07,86,051	1,06,05,59,584	11,72,55,284	-	-	1,17,78,14,867	3,03,29,52,083	3,08,76,16,653
II	अवत संपत्ति											
ए	संस्थान का मूल्य मान (अनुसूची-ए देखें)	7,59,89,899	7,32,857	-	7,67,22,756	7,15,13,625	7,63,395	-	-	7,22,77,020	44,45,736	44,76,274
बी	परियोजना निधि से अवत संपत्तियाँ (अनुसूची-बी देखें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी	व्यावसायिक विकास निधि से अवत संपत्तियाँ (अनुसूची-सी देखें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत का कुल (II)	7,59,89,899	7,32,857	-	7,67,22,756	7,15,13,625	7,63,395	-	-	7,22,77,020	44,45,736	44,76,274
III	कैपिटल कार्य - भूखंड पर											
ए	संस्थान का मूल्य मान (अनुसूची-ए देखें)	3,15,57,901	6,80,02,497	-	9,95,60,398	-	-	-	-	-	9,95,60,398	3,15,57,901
बी	परियोजना निधि से अवत संपत्तियाँ (अनुसूची-बी देखें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी	व्यावसायिक विकास निधि से अवत संपत्तियाँ (अनुसूची-सी देखें)	18,500	-	-	19,500	-	-	-	-	-	18,500	18,500
	वर्ष के अंत का कुल (III)	3,15,76,401	6,80,02,497	-	9,95,79,898	-	-	-	-	-	9,95,79,898	3,15,76,401
	वर्ष के अंत का कुल (I+II+III)	4,25,57,61,638	13,13,26,067	-	4,38,70,87,705	1,13,20,73,209	11,80,18,679	-	-	1,25,00,91,887	3,13,89,76,717	3,12,96,69,328

अक्षय कुमार

(एस. डी. गडकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

अक्षय कुमार

(एस. डी. गडकर)
कार्यकारी कुलसचिव

अक्षय कुमार

(भारतेंद्र कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची-4ए अचल संपत्ति योजना

Sl. No.	Particulars	2022-23				2023-24				2024-25				2025-26				2026-27				2027-28				2028-29				2029-30				2030-31				2031-32				2032-33				2033-34				2034-35				2035-36				2036-37				2037-38				2038-39				2039-40				2040-41				2041-42				2042-43				2043-44				2044-45				2045-46				2046-47				2047-48				2048-49				2049-50				2050-51				2051-52				2052-53				2053-54				2054-55				2055-56				2056-57				2057-58				2058-59				2059-60				2060-61				2061-62				2062-63				2063-64				2064-65				2065-66				2066-67				2067-68				2068-69				2069-70				2070-71				2071-72				2072-73				2073-74				2074-75				2075-76				2076-77				2077-78				2078-79				2079-80				2080-81				2081-82				2082-83				2083-84				2084-85				2085-86				2086-87				2087-88				2088-89				2089-90				2090-91				2091-92				2092-93				2093-94				2094-95				2095-96				2096-97				2097-98				2098-99				2099-00				2100-01				2101-02				2102-03				2103-04				2104-05				2105-06				2106-07				2107-08				2108-09				2109-10				2110-11				2111-12				2112-13				2113-14				2114-15				2115-16				2116-17				2117-18				2118-19				2119-20				2120-21				2121-22				2122-23				2123-24				2124-25				2125-26				2126-27				2127-28				2128-29				2129-30				2130-31				2131-32				2132-33				2133-34				2134-35				2135-36				2136-37				2137-38				2138-39				2139-40				2140-41				2141-42				2142-43				2143-44				2144-45				2145-46				2146-47				2147-48				2148-49				2149-50				2150-51				2151-52				2152-53				2153-54				2154-55				2155-56				2156-57				2157-58				2158-59				2159-60				2160-61				2161-62				2162-63				2163-64				2164-65				2165-66				2166-67				2167-68				2168-69				2169-70				2170-71				2171-72				2172-73				2173-74				2174-75				2175-76				2176-77				2177-78				2178-79				2179-80				2180-81				2181-82				2182-83				2183-84				2184-85				2185-86				2186-87				2187-88				2188-89				2189-90				2190-91				2191-92				2192-93				2193-94				2194-95				2195-96				2196-97				2197-98				2198-99				2199-00				2200-01				2201-02				2202-03				2203-04				2204-05				2205-06				2206-07				2207-08				2208-09				2209-10				2210-11				2211-12				2212-13				2213-14				2214-15				2215-16				2216-17				2217-18				2218-19				2219-20				2220-21				2221-22				2222-23				2223-24				2224-25				2225-26				2226-27				2227-28				2228-29				2229-30				2230-31				2231-32				2232-33				2233-34				2234-35				2235-36				2236-37				2237-38				2238-39				2239-40				2240-41				2241-42				2242-43				2243-44				2244-45				2245-46				2246-47				2247-48				2248-49				2249-50				2250-51				2251-52				2252-53				2253-54				2254-55				2255-56				2256-57				2257-58				2258-59				2259-60				2260-61				2261-62				2262-63				2263-64				2264-65				2265-66				2266-67				2267-68				2268-69				2269-70				2270-71				2271-72				2272-73				2273-74				2274-75				2275-76			
---------	-------------	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

Sl. No.	Category	2022-23				2023-24				2024-25				2025-26				2026-27				2027-28				2028-29				2029-30				2030-31				2031-32				2032-33				2033-34				2034-35				2035-36				2036-37				2037-38				2038-39				2039-40				2040-41				2041-42				2042-43				2043-44				2044-45				2045-46				2046-47				2047-48				2048-49				2049-50				2050-51				2051-52				2052-53				2053-54				2054-55				2055-56				2056-57				2057-58				2058-59				2059-60				2060-61				2061-62				2062-63				2063-64				2064-65				2065-66				2066-67				2067-68				2068-69				2069-70				2070-71				2071-72				2072-73				2073-74				2074-75				2075-76				2076-77				2077-78				2078-79				2079-80				2080-81				2081-82				2082-83				2083-84				2084-85				2085-86				2086-87				2087-88				2088-89				2089-90				2090-91				2091-92				2092-93				2093-94				2094-95				2095-96				2096-97				2097-98				2098-99				2099-00				2100-01				2101-02				2102-03				2103-04				2104-05				2105-06				2106-07				2107-08				2108-09				2109-10				2110-11				2111-12				2112-13				2113-14				2114-15				2115-16				2116-17				2117-18				2118-19				2119-20				2120-21				2121-22				2122-23				2123-24				2124-25				2125-26				2126-27				2127-28				2128-29				2129-30				2130-31				2131-32				2132-33				2133-34				2134-35				2135-36				2136-37				2137-38				2138-39				2139-40				2140-41				2141-42				2142-43				2143-44				2144-45				2145-46				2146-47				2147-48				2148-49				2149-50				2150-51				2151-52				2152-53				2153-54				2154-55				2155-56				2156-57				2157-58				2158-59				2159-60				2160-61				2161-62				2162-63				2163-64				2164-65				2165-66				2166-67				2167-68				2168-69				2169-70				2170-71				2171-72				2172-73				2173-74				2174-75				2175-76				2176-77				2177-78				2178-79				2179-80				2180-81				2181-82				2182-83				2183-84				2184-85				2185-86				2186-87				2187-88				2188-89				2189-90				2190-91				2191-92				2192-93				2193-94				2194-95				2195-96				2196-97				2197-98				2198-99				2199-00				2200-01				2201-02				2202-03				2203-04				2204-05				2205-06				2206-07				2207-08				2208-09				2209-10				2210-11				2211-12				2212-13				2213-14				2214-15				2215-16				2216-17				2217-18				2218-19				2219-20				2220-21				2221-22				2222-23				2223-24				2224-25				2225-26				2226-27				2227-28				2228-29				2229-30				2230-31				2231-32				2232-33				2233-34				2234-35				2235-36				2236-37				2237-38				2238-39				2239-40				2240-41				2241-42				2242-43				2243-44				2244-45				2245-46				2246-47				2247-48				2248-49				2249-50				2250-51				2251-52				2252-53				2253-54				2254-55				2255-56				2256-57				2257-58				2258-59				2259-60				2260-61				2261-62				2262-63				2263-64				2264-65				2265-66				2266-67				2267-68				2268-69				2269-70				2270-71				2271-72				2272-73				2273-74				2274-75				2275-76			
---------	----------	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

क्र. / विवरण	वर्ष 2022-23				वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25				AMOUNT IN RS.			
	31-03-23	01-04-23	31-03-23	01-04-23	31-03-24	01-04-24	31-03-24	01-04-24	31-03-25	01-04-25	31-03-25	01-04-25	31-03-23	31-03-24	31-03-25	31-03-26
1. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	9,97,349	9,97,349	0	0	9,97,349	2,19,417	19,847.00	0	0	2,36,364	7,57,985	7,77,932				
2. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	2,28,343	2,28,343	0	0	2,28,343	52,520	4,567.00	0	0	57,087	1,71,256	1,75,823				
3. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	2,73,212	2,73,212	0	0	2,73,212	71,032	5,464.00	0	0	76,496	1,96,716	2,02,180				
4. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	2,45,994	2,45,994	0	0	2,45,994	51,660	4,920.00	0	0	56,580	1,89,414	1,94,334				
5. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	13,95,061	13,95,061	0	0	13,95,061	3,18,458	27,701.00	0	0	3,46,199	10,38,862	10,86,563				
6. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	8,83,843	8,83,843	0	0	8,83,843	2,12,124	17,877.00	0	0	2,29,801	6,54,042	6,71,719				
7. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	12,13,602	12,13,602	0	0	12,13,602	2,98,971	24,272.00	0	0	3,23,243	8,90,359	9,14,631				
8. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	5,56,619	5,56,619	0	0	5,56,619	1,70,716	13,132.00	0	0	1,83,848	4,72,771	4,85,903				
9. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	8,69,123	8,69,123	0	0	8,69,123	3,15,413	17,382.00	0	0	3,32,795	5,36,328	5,53,710				
10. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	46,28,438	46,28,438	0	0	46,28,438	16,02,757	92,568.00	0	0	16,95,328	29,33,112	30,25,681				
11. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	1,95,522	1,95,522	0	0	1,95,522	39,100	3,910.00	0	0	43,010	1,52,512	1,58,422				
12. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	3,81,154	3,81,154	0	0	3,81,154	63,012	7,623.00	0	0	70,635	3,10,519	3,18,142				
13. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	2,22,521	2,22,521	0	0	2,22,521	40,050	4,450.00	0	0	44,500	1,78,021	1,82,471				
14. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	5,22,961	5,22,961	0	0	5,22,961	94,131	10,455.00	0	0	1,04,590	4,18,371	4,28,830				
15. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	10,06,883	10,06,883	0	0	10,06,883	1,81,206	20,134.00	0	0	2,01,340	8,06,343	8,26,477				
16. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	6,67,766	6,67,766	0	0	6,67,766	1,06,771	13,355.00	0	0	1,20,128	5,47,640	5,60,595				
17. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	2,12,182	2,12,182	0	0	2,12,182	31,830	4,244.00	0	0	36,074	1,76,108	1,80,352				
18. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	9,73,047	9,73,047	0	0	9,73,047	1,45,957	19,461.00	0	0	1,65,418	8,07,629	8,27,090				
19. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	2,52,213	2,52,213	0	0	2,52,213	40,352	5,044.00	0	0	45,396	2,06,817	2,11,861				
20. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	2,38,181	2,38,181	0	0	2,38,181	35,730	4,784.00	0	0	40,494	1,97,807	2,02,451				
21. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	28,941	28,941	0	0	28,941	4,342	579.00	0	0	4,821	24,020	24,599				
22. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	31,500	31,500	0	0	31,500	3,465	630.00	0	0	4,085	27,405	28,035				
23. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	15,21,38,572	15,21,38,572	0	0	15,21,38,572	1,06,49,658	30,42,771.00	0	0	1,36,92,469	13,84,46,103	14,14,88,874				
25. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	12,14,508	12,14,508	0	0	12,14,508	2,79,336	24,250.00	0	0	3,03,626	9,10,882	9,35,172				
26. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	4,27,63,242	4,27,63,242	0	0	4,27,63,242	81,29,016	8,55,265.00	0	0	89,80,281	3,37,82,961	3,46,38,226				
27. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	1,57,39,636	1,57,39,636	0	0	1,57,39,636	28,33,135	3,14,793.00	0	0	3,14,793	1,25,91,708	1,29,06,501				
28. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	71,06,738	71,06,738	0	0	71,06,738	12,08,146	1,42,135.00	0	0	13,50,281	57,56,457	58,88,592				
29. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	1,00,14,751	1,00,14,751	0	0	1,00,14,751	19,02,802	2,00,295.00	0	0	21,03,097	79,11,654	81,11,949				
30. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	8,90,62,200	8,90,62,200	0	0	8,90,62,200	53,43,732	17,81,244.00	0	0	71,24,978	8,19,37,224	8,37,18,468				
31. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	55,50,620	55,50,620	0	0	55,50,620	9,99,110	1,11,012.00	0	0	11,10,122	44,40,498	45,51,510				
32. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	2,16,46,583	2,16,46,583	0	0	2,16,46,583	34,63,454	4,32,932.00	0	0	38,96,398	1,77,50,197	1,81,83,129				
33. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	13,63,04,895	13,63,04,895	0	0	13,63,04,895	1,36,30,470	27,26,064.00	0	0	1,63,56,564	11,99,48,131	12,26,74,223				
34. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	17,59,50,751	17,59,50,751	0	0	17,59,50,751	1,05,57,045	35,19,015.00	0	0	1,40,76,060	16,18,74,691	16,53,93,706				
35. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	21,93,10,522	21,93,10,522	0	0	21,93,10,522	4,60,55,208	43,86,210.00	0	0	5,04,41,418	16,88,69,104	17,32,95,314				
36. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	15,62,86,613	15,62,86,613	0	0	15,62,86,613	87,48,317	31,25,732.00	0	0	1,18,74,048	14,44,12,564	14,75,38,296				
37. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	1,76,581	1,76,581	0	0	1,76,581	37,083	3,532.00	0	0	40,615	1,35,966	1,39,498				
38. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	38,10,92,489	38,10,92,489	0	0	38,10,92,489	6,47,85,723	78,21,850.00	0	0	7,24,07,573	30,86,84,916	31,63,08,786				
39. अनु. सहायक के लिए जारी का निर्माण	18,99,92,053	18,99,92,053	0	0	18,99,92,053	1,51,99,364	37,99,841.00	0	0	1,89,96,205	17,09,92,848	17,47,92,689				

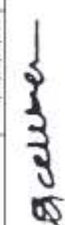


पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर



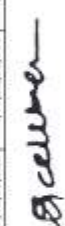
पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2022-23				वर्ष 2023-24				AMOUNT IN RS.			
		01-अप्रैल-23	31-अप्रैल-23	01-अप्रैल-23	31-अप्रैल-23	01-अप्रैल-24	31-अप्रैल-24	01-अप्रैल-24	31-अप्रैल-24	31-अप्रैल-23	31-अप्रैल-24	31-अप्रैल-23	31-अप्रैल-24
1	XII-वीर कर्म	5,90,153	5,90,153	0	0	5,90,153	5,90,153	29,508.00	1,80,914	4,09,239	4,09,239	4,38,747	4,38,747
2	XII-अनुसंधान अर्थि अनुसंधान	22,55,327	35,12,757	0	0	22,55,327	22,55,327	-	0	22,55,327	0	0	0
3	अनुसंधान अनुसंधान	1,75,290	1,75,290	0	0	1,75,290	1,75,290	-	0	1,75,290	0	0	0
4	अनुसंधान अनुसंधान	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	1,500.00	0	6,750	13,250	14,750	14,750
5	अनुसंधान अनुसंधान	33,62,852	30,12,399	4,17,459	0	37,80,351	5,65,586	2,74,392.00	0	8,39,978	29,40,373	27,97,268	27,97,268
6	अनुसंधान अनुसंधान	403,61,47,082	362,52,12,317	5,87,75,266	0	409,49,22,368	104,67,79,878	11,71,86,251.50	0	116,39,65,129	293,09,56,635	286,93,67,603	286,93,67,603
7	अनुसंधान अनुसंधान	5,94,005	5,94,005	0	0	5,94,005	5,94,005	-	0	5,94,005	5,94,005	5,94,005	5,94,005
8	अनुसंधान अनुसंधान	15,77,281	15,77,281	0	0	15,77,281	15,77,281	-	0	15,77,281	15,77,281	15,77,281	15,77,281
9	अनुसंधान अनुसंधान	90,628	90,628	0	0	90,628	90,628	-	0	90,628	90,628	90,628	90,628
10	अनुसंधान अनुसंधान	2,00,99,866	2,00,99,866	3,16,89,497	0	5,17,89,363	0	-	0	5,17,89,363	2,00,99,866	2,00,99,866	2,00,99,866
11	अनुसंधान अनुसंधान	6,66,197	6,66,197	0	0	6,66,197	6,66,197	-	0	6,66,197	6,66,197	6,66,197	6,66,197
12	अनुसंधान अनुसंधान	29,52,842	29,52,842	0	0	29,52,842	29,52,842	-	0	29,52,842	29,52,842	29,52,842	29,52,842
13	अनुसंधान अनुसंधान	14,02,385	14,02,385	0	0	14,02,385	14,02,385	-	0	14,02,385	14,02,385	14,02,385	14,02,385
14	अनुसंधान अनुसंधान	11,35,402	11,35,402	0	0	11,35,402	11,35,402	-	0	11,35,402	11,35,402	11,35,402	11,35,402
15	अनुसंधान अनुसंधान	14,09,280	14,09,280	0	0	14,09,280	14,09,280	-	0	14,09,280	14,09,280	14,09,280	14,09,280
16	अनुसंधान अनुसंधान	0	0	3,63,13,000	0	3,63,13,000	0	-	0	3,63,13,000	0	0	0
17	अनुसंधान अनुसंधान	16,05,615	16,05,615	0	0	16,05,615	16,05,615	-	0	16,05,615	16,05,615	16,05,615	16,05,615
18	अनुसंधान अनुसंधान	24,400	24,400	0	0	24,400	24,400	-	0	24,400	24,400	24,400	24,400
19	अनुसंधान अनुसंधान	3,15,57,901	3,15,57,901	6,80,82,497	0	9,95,69,398	0	-	0	9,95,69,398	3,15,57,901	3,15,57,901	3,15,57,901
20	अनुसंधान अनुसंधान	7,59,34,398	15,42,060	7,32,857	0	7,66,67,256	7,14,58,125	7,63,395.00	0	7,22,21,520	44,45,736	44,78,274	44,78,274
21	अनुसंधान अनुसंधान	55,500	55,500	0	0	55,500	55,500	-	0	55,500	0	0	0
22	अनुसंधान अनुसंधान	7,59,69,899	15,97,560	7,32,857	0	7,67,22,756	7,15,13,628	7,63,395.00	0	7,22,21,520	44,45,736	44,78,274	44,78,274
23	अनुसंधान अनुसंधान	4,14,36,54,882	3,65,83,67,778	12,75,10,640,14	0	4,27,12,05,522	1,11,82,92,593	11,79,49,646.50	0	1,23,62,42,149	3,03,49,62,772	3,02,54,01,778	3,02,54,01,778



 (एस. डी. गडेकर)

 उप कुलसचिव (वि. व ले.)



 (एस. डी. गडेकर)

 कार्यकारी कुलसचिव



 (भारतेंदु कुमार सिंह)

 निदेशक



पंडित द्वाराका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची - 4 बी (परियोजना निधि में से अवल संपत्तियां)

क्र.सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यदात				रशि रुपये में			
		साल की शुरुआत में लागत / मूल्यवर्धन	वर्ष के दौरान परिकल्पित	वर्ष के दौरान कटौती	साल के अंत में लागत / मूल्यवर्धन	साल की शुरुआत में से रूप में	वर्ष के लिए	समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	साल के अंत तक कुल	वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में	NET BLOCK
I	कंप्यूटर / पेरिफेरल नेटवर्किंग (कंप्यूटर)	3,18,68,962	0	0	3,18,68,962	65,66,660	0	0	0	65,66,660	2,53,02,302	2,53,02,302	
II	प्रयोगशाला उपकरण	7,06,91,888	34,00,013	0	7,40,91,901	25,21,537	0	0	0	25,21,537	7,15,70,364	6,81,70,351	
III	फर्निचर एवं फिक्स्चर	7,14,140	0	0	7,14,140	29,670	0	0	0	29,670	6,84,470	6,84,470	
IV	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	33,85,065	0	0	33,85,065	3,92,887	0	0	0	3,92,887	29,92,198	29,92,198	
V	कार्यालय उपकरण	10,15,916	0	0	10,15,916	68,793	0	0	0	68,793	9,47,123	9,47,123	
	वास्तविक रूप में कुल (₹)	10,76,75,991	34,00,013	0	11,10,76,004	95,79,547	-	0	0	95,79,547	10,14,96,457	9,80,96,444	

पंडित द्वाराका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची -4सी (व्यावसायिक विकास निधि में से संपत्तियां)

क्र.सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यदात				रशि रुपये में			
		साल की शुरुआत में लागत / मूल्यवर्धन	वर्ष के दौरान परिकल्पित	वर्ष के दौरान कटौती	साल के अंत में लागत / मूल्यवर्धन	साल की शुरुआत में से रूप में	वर्ष के लिए	समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	साल के अंत तक कुल	वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में	NET BLOCK
I	कंप्यूटर / पेरिफेरल नेटवर्किंग (कंप्यूटर)	37,82,183	2,83,920	0	40,66,103	37,82,183	-	0	0	37,82,183	2,83,920.00	0	
II	किताबें	5,41,942	1,10,065	0	6,52,027	4,01,192	65,203.00	0	0	4,86,395	1,85,632.00	1,40,750	
III	कार्यालय उपकरण	29,640	21,409	0	51,049	17,794	3,829.00	0	0	21,613	29,436.00	11,856	
IV	पेटेंट (अपति में पूर्वी कार्य)	18,500	0	0	18,500	0	-	0	0	0	18,500.00	18,500	
	वास्तविक रूप में कुल (₹)	43,72,265	4,15,414	0	47,87,679	42,01,159	69,032.00	0	0	42,70,191	5,17,488.00	1,71,106	

(एस. डी. गडेकर)

उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)

कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेंद्र कुमार सिंह)

निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 5 निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश

व्यौरा	राशि रुपये में	
	चालू वर्ष (FY 2023-24)	पिछला वर्ष (FY 2022- 23)
1 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	0	0
2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	0	0
3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0
4 शेयर	0	0
5 ऋणपत्र और बांड	0	0
6 बैंकों के पास सावधि जमा	0	0
7 अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	0	0
कुल	0	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 6 निवेश अन्य

राशि रुपये में

व्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
1 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	0	0
2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	0	0
3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0
4 शेयरों	0	0
5 ऋणपत्र और बांड	0	0
6 सावधि जमा	0	0
7 सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	0	0
कुल	0	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 7 वर्तमान परिसंपत्तियाँ

राशि रुपये में

	वर्षा	चालू वर्ष (FY 2023-24)	पिछले वर्ष (FY 2022-23)
1 भंडार:			
ए) भंडार और पूरें	-	-	-
बी) ढीले उपकरण	-	-	-
सी) प्रकाशनी	-	-	-
डी) प्रयोगशाला रसायन, उपभोग्य वस्तुएं और कांच के बर्तन	-	-	-
ई) निम्नोण सामग्री	-	-	-
एफ) विद्युत सामग्री	-	-	-
जी) लेखन सामग्री	-	-	-
एच) जल आपूर्ति सामग्री	-	0	-
2 विविध देनदार			
ए) छह माह से अधिक की अवधि से बकाया ऋण	-	-	-
बी) अन्य (शुल्क प्राप्य)	-	0	-
3 नकदी और बैंक शेष			
A) अनुसूचित बैंक के साथ)		10,72,43,325	8,96,39,799
-चालू खातों में			
I इंडियन बैंक अनुदान चालू खाता	9,19,084	8,18,829	
II एसबीआई अनुदान खाता	2,36,669	2,36,669	
III इंडियन बैंक छात्र शुल्क खाता	18,35,954	38,13,780	
IV इंडियन बैंक बचत खाता	4,99,18,403	2,84,26,623	
V एक्सिस बैंक छात्र शुल्क खाता	71,28,762	66,67,586	
VI इंडियन बैंक छात्र शुल्क खाता	1,20,85,995	40,635	
VII सीआईसीटी पीडीपीएम आईआईआईटी जबलपुर	82,834		
VIII वीएच पीडीपीएम IIITDMJ खाता	11,90,680		
IX परियोजना खाते			
ए) भारतीय परियोजना खाता	1,69,82,795	2,09,86,170	
बी) इंडियन बैंक सर्व परियोजना खाता	94,58,160	1,06,14,842	
सी) इनाकोम 2021	65,161	60,035	
डी) भारतीय अकादमी खाता	65,67,082	15,47,192	
ई) भारतीय स्टार्टअप खाता	6,124	5,958	
एफ) भारतीय क्यूआईपी एआईसीटीई	7,14,956	6,95,577	
जी) भारतीय ई एवं आईसीटी अकादमी खाता	50,667	1,57,25,903	
4 सावधि जमा		127,03,12,861	86,93,31,015
ए) टीडीआर (स्वैप खाता)	1,27,03,12,861	86,93,31,015	
कुल		137,75,56,186	95,89,70,814

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 8 ऋण, अग्रिम और जमा

राशि रुपये में

व्यौरा	चालू वर्ष (FY 2023-24)	पिछले वर्ष (FY 2022-23)	
1 कर्मचारियों को अग्रिम: (बिना व्याज वाला)			
ए) वेतन			
बी) त्योहार	-	-	
सी) चिकित्सा उन्नति	-	-	
डी) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-
कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम: (व्याज सहित)			
ए) वाहन ऋण	-	-	
बी) गृह ऋण	-	-	
सी) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-
नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ			
ए) पूँजी खाते पर			
1.) अग्रिम (जुटाना/तदर्थ/सुरक्षित/)	16,92,181	16,92,181	
2.) सीपीडब्ल्यूडी के लिए अग्रिम	2,64,04,411	7,94,00,411	
3.) व्यय के लिए अग्रिम	-	0	
बी) व्यय के लिए अग्रिम	1,75,405	1,75,405	
सी) अन्य	50,30,541	35,89,676	8,48,57,673
4 प्रीपेड खर्च			
ए) बीमा	9,56,315	2,37,271	
बी) अन्य खर्च	-	4,01,827	6,39,098
5 जमा राशि			
ए) टेलीफोन बीएसएनएल	25,36,638	25,36,638	
बी) बिजली (एमपीपीकेवीवीसीएल)	52,74,900	36,81,975	
सी) आयकर	20,76,744	20,76,744	
डी) अन्य	24,61,662	17,14,091	1,00,09,448
6 अर्जित आय:			
ए) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर			
बी) निवेश-अन्य पर	-	-	
सी) ऋण और अग्रिम पर	-	-	
डी) अन्य (देय-अप्राप्त आय शामिल है)	-	-	-
अन्य-यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
ए) कार्यशाला प्राप्य (DEW)	2,68,800	2,68,800	
बी) अन्य प्राप्य	1,16,623	13,628	
सी) परियोजना से अग्रिम	8,79,788	7,61,734	10,44,162
कुल	4,78,74,008		9,65,50,381

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 9 शुल्क/सदस्यता

राशि रुपये में

व्योरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए छात्रों से शुल्क		
1 टयूशन शुल्क	16,00,34,583	14,11,04,992
2 प्रवेश शुल्क	17,12,056	16,15,790
3 पंजीकरण शुल्क	64,28,493	55,38,726
कुल (ए)	16,81,75,132	14,82,59,508
बी परीक्षाओं		
1 वार्षिक परीक्षा शुल्क	64,47,263	55,76,275
2 मार्क शीट, प्रमाणपत्र शुल्क	20,93,847	19,70,940
कुल (बी)	85,41,110	75,47,215
सी अन्य शुल्क		
1 पहचान पत्र शुल्क	4,28,024	4,03,988
2 चिकित्सा शुल्क	67,78,365	60,37,797
3 छात्रावास शुल्क	3,01,27,530	2,32,15,638
4 कैरियर विकास कार्यक्रम	17,12,056	16,15,790
5 आधुनिकीकरण	31,47,098	20,44,859
6 गर्मियों के लिए पाठ्यक्रम	19,122	71,925
7 डीग्री और विविध शुल्क	14,31,180	14,35,689
कुल (सी)	4,36,43,375	3,48,25,687
डी अन्य शैक्षणिक प्राप्ति		
1 कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
2 (अकादमिक स्टाफ कॉलेज) के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
कुल (डी)	-	-
ई रसीदों का स्थानांतरण		
1 हॉल प्रबंधन खाते के लिए	-	-
2 छात्र लाभ खाते के लिए	-	-
3 वर्तमान देनदारियों में अवास्तविक राशि का स्थानांतरण	-	-
कुल (ई)	-	-
महायोग (ए+बी+सी+डी-ई)	22,03,59,617	19,06,32,409

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 10 अनुदान/सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान) योजना

राशि रुपये में

व्यौरा	चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)	
संतुलन आगे लाया			-
जोड़ना वर्ष के दौरान अनुदान रसीदें	66,23,00,000		55,65,00,000
जोड़ना आंतरिक कोष से लघु अनुदान प्राप्त करें	-		10,40,02,655
जोड़ना आंतरिक आय से लघु अनुदान प्राप्त करें	-		5,29,98,295
कुल	66,23,00,000		71,35,00,950
कम पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जाता है	8,89,70,054		14,40,02,655
अनुदान से उपयोग किया गया		4,00,00,000	
आंतरिक कोष से उपयोग किया गया		10,40,02,655	
शेष	57,33,29,946		56,94,98,295
कम राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	55,21,85,768		56,94,98,295
अनुदान से उपयोग किया गया		51,65,00,000	
आंतरिक आय से उपयोग किया गया		5,29,98,295	
शेष आगे बढ़ाया गया	2,11,44,177		0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 11 निवेश से आय

व्याज	निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि			राशि रुपये में	
	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	अन्य निवेश (संस्थान)	पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
1 व्याज					
ए) सरकार पर। प्रतिभूति	0	0	0	0	0
बी) अन्य बांड/डिबेंचर	0	0	0	0	0
2 सावधि जमा पर व्याज	0	0	0	0	0
3 अर्जित आय, लेकिन सावधि जमा/व्याज पर देय नहीं कर्मचारियों को अग्रिम	0	0	0	0	0
4 बचत बैंक खातों पर व्याज	0	0	0	0	0
5 अन्य (पूर्व अवधि)	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0
1 कम: निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि में हस्तांतरित	0	0	0	0	0
शेष	0	0	0	0	0

S. C. Sharma

(एस. डी. गडकेर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

S. C. Sharma

(एस. डी. गडकेर)
कार्यकारी कुलसचिव

S. C. Sharma

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 12 अर्जित ब्याज

		राशि रुपये में	
	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
1	अनुसूचित बैंक संस्थान खाते के साथ बचत खातों पर	15,00,795	14,66,294
2	एफडीआर पर ब्याज	5,84,03,746	3,51,75,489
	अर्जित ब्याज का कुल योग	5,99,04,541	3,66,41,783
3	ऋण पर ब्याज		
	ए) कर्मचारी/कर्मचारी	-	-
	बी) अन्य	-	-
4	देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
	ए) सुरक्षा जमा पर ब्याज (एमपीपीकेवीवीसीएल)	2,58,375	1,15,156
	कुल	6,01,62,916	3,67,56,939

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 13 – अन्य आय

विवरण	राशि रुपये में	
	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए भूमि एवं भवन से आय		
1. आगंतुक आवास शुल्क	18,14,815	6,92,215
2. अनुज्ञप्ति शुल्क	14,33,361	9,20,285
योग (ए)	32,48,176	16,12,500
बी अन्य		
1. आवेदन पत्र से आय	9,92,998	-
2. बस सेवा आय	12,93,980	7,09,788
3. शास्त्रि से आय	-	2,50,574
4. अन्य विविध आय	6,87,520	70,691
5. किराए से आय	2,37,672	8,81,040
6. परियोजना परामर्श से आय	7,48,243	-
योग (बी)	39,60,413	19,12,093
कुल (ए + बी)	72,08,589	35,24,593

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 14 – पूर्व अवधि की आय

राशि रुपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए	शैक्षणिक प्राप्तियां	0	0
बी	निवेश से आय	0	0
सी	अर्जित ब्याज	0	0
डी	अन्य आय	0	0
	कुल	0	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 15- कर्मचारियों को भुगतान एवं हितलाभ स्थापना व्यय- योजना

राशि रुपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए)	वेतन & मजदूरी	21,21,12,974	20,81,72,970
बी)	भत्ते	20,700	28,800
सी)	भविष्य निधि/एनपीएस . में योगदान	2,75,25,609	2,59,48,220
डी)	सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ	2,67,27,901	6,07,92,374
ई)	एलटीसी सुविधा	18,90,050	25,74,105
एफ)	स्वास्थ्य सुविधा	37,69,387	48,80,426
जी)	बाल शिक्षा भत्ता	25,38,000	22,49,341
एच)	अवकाश नकदीकरण	3,20,441	8,56,420
आई)	व्यावसायिक विकास भत्ता	63,29,914	26,20,548
जे)	कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट	1,55,040	88,400
	कुल	28,13,90,016	30,82,11,604

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची-15ए कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ

व्योरा	पेंशन	आनुतोषिक	छुट्टी के बदले नक़द भुगतान	कुल
ए	0	7,85,03,855	11,12,98,362	18,98,02,217
अतिरिक्त: अन्य संगठनों से प्राप्त योगदान का पूंजीकृत मूल्य	0	0	50,038	50,038
कुल (ए)	0	7,85,03,855	11,13,48,400	18,98,52,255
बी	0	0	12,65,471	12,65,471
सी	0	7,85,03,855	11,00,82,929	18,85,86,784
डी	0	9,23,77,967	12,26,54,478	21,50,32,445
ए. चालू वर्ष में किया जाने वाला प्रावधान (डी-सी)	0	1,38,74,112	1,25,71,549	2,64,45,661
B. नई पेंशन योजना में योगदान	0	0	0	0
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	0
डी. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा	0	0	0	0
ई. जमा से जुड़ा बीमा भुगतान	0	0	0	0
एफ. वेतन अंशदान छोड़े	0	0	0	0
कुल (ए+बी+सी+डी)	0	1,38,74,112	1,25,71,549	2,64,45,661

राशि रुपये में

S. Kumar

(एस. डी. गड्केर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

S. Kumar

(एस. डी. गड्केर)
कार्यकारी कुलसचिव

S. Kumar
(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 16 शैक्षणिक व्यय- योजना

राशि रुपये में

व्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
a) प्रयोगशाला व्यय	5,96,182	8,68,489
b) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	31,828	50,000
c) विजिटिंग फैकल्टी को भुगतान	61,67,978	35,30,640
d) छात्र बीमा व्यय	13,16,837	8,91,505
e) सहायता/एमसीएम	7,58,01,925	7,93,43,503
f) छात्र सहायता सेवाएँ	22,09,254	9,06,854
g) मानदेय (ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम)	3,54,250	1,32,000
h) स्वास्थ्य सुविधा	9,21,219	13,35,040
i) प्रशिक्षण एवं कौशल विकास एक्स	14,75,655	27,98,671
कुल	8,88,75,128	8,98,56,702

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 17 - प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	राशि रुपये में पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए)	बुनियादी सुविधायें		
ए)	विद्युत एवं शक्ति	3,38,91,767	3,11,34,534
बी)	संचार		
ए)	डाक एवं तार	1,02,149	72,016
बी)	टेलीफोन और इंटरनेट/लीजलाइन शुल्क	12,23,955	15,41,924
सी)	अन्य		
ए)	मुद्रण एवं स्टेशन	7,58,948	11,28,727
बी)	यात्रा और परिवहन	16,28,095	13,26,675
सी)	सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण पर व्यय	14,44,160	2,56,021
डी)	आतिथ्य व्यय	20,09,359	8,07,714
ई)	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	4,06,100	3,93,260
एफ)	व्यावसायिक प्रभार	57,26,403	30,97,033
जी)	विज्ञापन एवं प्रचार	4,94,714	4,45,719
एच)	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	4,00,729	3,98,278
आई)	आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन एवं पारिश्रमिक	11,72,55,150	10,61,70,810
जे)	उपभोग्य	6,38,641	24,88,799
के)	अन्य विविध व्यय	29,55,998	20,02,350
एल)	मानदेय	4,70,500	6,94,300
एम)	नगरपालिका कर	11,96,258	11,96,257
एन)	पेटेंट (संस्थान)	11,81,890	8,80,432
	कुल	17,17,84,816	15,40,34,849

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 18 – परिवहन व्यय- योजना

		राशि रुपये में	
विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)	
1 वाहन (संस्थान के स्वामित्व के)			
ए) सतत व्यय	7,52,459	7,73,003	
बी) सुधार एवं रख-रखाव व्यय	0	0	
सी) बीमा व्यय	0	60,362	
2 वाहन (किराये/पट्टे पर)			
ए) किराया/पट्टा व्यय	27,73,504	17,10,921	
कुल	35,25,963	25,44,286	

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 19 – सुधार एवं रख-रखाव – योजना

		राशि रुपये में	
	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए)	भवन	18,95,289	84,06,133
बी)	प्लांट और मशीनरी	20,61,499	32,82,141
सी)	कार्यालय उपकरण और अन्य उपकरण	5,01,254	5,09,407
डी)	सामग्री की सफाई और सेवायें	1,07,748	3,57,745
इ)	बगीचा (बागवानी) का खर्च	4,20,744	5,16,186
एफ)	डीजी सेट	13,04,320	17,41,339
जी)	जल शोधक संयंत्र	2,61,589	27,005
	कुल	65,52,443	1,48,39,956

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 20 वित्तीय लागत

राशि रुपये में

	व्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
अ)	बैंक प्रभार	57,402	10,898
	कुल	57,402	10,898

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 21 – अन्य व्यय

राशि रुपये में

	व्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	0	0
बी)	वसूली न होने वाले शेषों का अपलेखन	0	0
सी)	अन्य संस्थाओं/संगठनों को अनुदान/सब्सिडी	0	0
डी)	अन्य (टीडीएस पर व्याज)	0	0
	कुल	0	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 22 पूर्व अवधि के व्यय

राशि रुपये में

	व्यौरा	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24)	पिछला वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23)
ए)	मरम्मत एवं रखरखाव	0	28,934
बी)	अन्य खर्च	7,19,099	45,890
	कुल	7,19,099	74,824

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी,
अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर

अनुसूची 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु तैयार किए गए अंतिम खातों का भाग है।

अनुसूची : 23
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार

वित्तीय लेखे परंपरानुसार प्रचलित लागत मूल्य के अंतर्गत, जहां अन्यथा उल्लेखित न हो, एवं सामान्यतः लेखांकन हेतु अर्जन विधि से तैयार किए गए हैं।

2. राजस्व (आय) की पहचान

2.1 प्रवेश पत्र विक्रय, स्वत्व (Royalty) शुल्क, एवं बचत खातों पर ब्याज को नकद प्राप्ति (Cash basis) आधार पर लेखा किया गया है। शिक्षण शुल्क, जो प्रत्येक सेमेस्टर हेतु वसूल किया जाता है, को अर्जन आधार (Accrual basis) पर लेखा किया गया है।

2.2 भूमि, इमारत व अन्य संपत्ति से आय एवं निवेश पर ब्याज, अर्जन आधार (Accrual basis) पर लेखा किया गया है।

3. अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास (Fixed Assets & Depreciation)

3.1 अचल आस्तियों (Fixed Assets) को उनके अर्जन की लागत (Cost of aquisition) पर मूल्यांकित किया गया है, जिसमें आस्ति के अर्जन पर उसे लगाने (Installation) एवं शुरु करने (Commissioning) का व्यय, आवक भाड़ा, कर, शुल्क, आनुषंगिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।

3.2 उपहार/दान में प्राप्त आस्तियों (Assets) को उनके लिए घोषित मूल्य (Declared Value), यदि उपलब्ध हो, पर मूल्यांकित किया गया है, एवं घोषित मूल्य अनुपलब्ध होने पर उनकी भौतिक या वास्तविक स्थिति के अनुसार उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। इन आस्तियों को पूंजीगत निधि के जमा (By credit to Capital Fund) अंतर्गत रखते हुए संस्थान की अचल आस्तियों में शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान को कोई भी उपहार प्राप्त नहीं हुआ है।

3.3 दान में मिली हुई पुस्तकों को उनके विक्रय मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अमुद्रित पुस्तकों का मूल्यांकन, आकलन (Assessment) के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान को पुस्तकों के रूप में कोई उपहार नहीं मिला है।

3.4 अचल आस्तियों (Fixed Assets) को लागत-जमा मूल्यह्रास (Cost-Accumulated Depreciation) के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की दरें, सीधी लाइन पद्धति (Straight line Method) से निम्नानुसार रखी गई हैं।

**मूर्त आस्तियां (Tangible Assets)**

1.	भूमि	0%
2.	स्थल विकास	0%
3.	इमारत	2%
4.	पथ एवं पुल	2%
5.	ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	2%
6.	मल प्रबंधन एवं नालियां	2%
7.	विद्युत स्थापन एवं उपकरण	5%
8.	संयंत्र एवं मशीनरी	5%
9.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	श्रव्य दृश्य उपकरण	7.5%
12.	संगणक एवं आनुषंगिक उपकरण	20%
13.	फर्नीचर, फिक्स्चर एवं फिटिंग्स	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स	10%

अमूर्त आस्तियां (Intangible Assets)

1.	ई-जर्नल्स	40%
2.	संगणक सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेंट एवं कॉपीराइट्स	9 वर्ष

- 3.5 अचल संपत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया, 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले खरीदी गई संपत्ति पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास लगाया गया है एवं 30 सितंबर 2023 के बाद संपत्ति खरीद पर मूल्यहास अर्धवार्षिक आधार पर लगाया गया है।
- 3.6 जहां किसी आस्ति हेतु मूल्यहास का प्रावधान संपूर्ण हो गया हो तो तुलन पत्र में उसका शेष मूल्य रु. 1/- दिखाया गया है। इसके बाद प्रतिवर्ष, आस्ति की मद में जोड़े गए किसी भी आधिक्य पर मूल्यहास की गणना, अलग से उस विशिष्ट आस्ति हेतु निर्धारित दर से की गई है।
- 3.7 ऐसी आस्तियों, जिनका स्वामित्व संस्थान के पास है, एवं जो चिह्नित निधियों से या प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से अर्जित की गई हो, को पूंजीगत निधि के जमा अंतर्गत (By credit to Capital Fund) रखते हुए, संस्थान की अचल आस्तियों में शामिल किया गया है। ऐसी आस्तियों पर मूल्यहास उस विशिष्ट आस्ति हेतु निर्धारित दर से प्रभारित किया गया है। ऐसी आस्तियों, जो प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से अर्जित की गई हो परंतु जिनका स्वामित्व प्रायोजकों के ही पास हो, पर वह संस्थान में ही रखी गई हो व उपयोग में लाई जा रही हो, को लेखों पर नोट्स (Notes on Accounts) में अलग से दर्शाया गया है।
- 3.8 प्रस्ताव या अनुमोदन के अनुसार इस तरह के कंप्यूटर पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसी मामूली वस्तुएँ, जहां संस्थान या अनुदाता संगठन में ऐसी संपत्ति के स्वामित्व निहित बनाया



जाएगा/ निर्धारित धनराशि और / या व्यय के हेड के अनुसार प्रायोजित परियोजनाओं के लिए धन से खरीदी के रूप में होगी।

- 3.9 आस्तियां, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु0 2000/- या उससे कम हो, (पुस्तकालय में रखी पुस्तकों को छोड़कर) को लघु मूल्य आस्ति (Small Value Assets) माना गया है व ऐसी आस्तियों पर उनके अर्जन (Acquisition) के समय ही 100% मूल्यहास का प्रावधान किया गया है। यद्यपि, ऐसी आस्तियों का नियंत्रण एवं भौतिक लेखा (Physical Accounting) रखने का कार्य, इनके धारकों के द्वारा किया जाता है।
- 3.10 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, BOG/31/11 के निर्णय के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जारी किए गए लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संस्थान द्वारा तय किए गए मूल्यहास मूल्य या न्यूनतम मूल्य पर रखा जा सकता है। फिक्स्ड एसेट और/या कॉर्पस तदनुसार प्रभावित होंगे।

4. अमूर्त आस्तियां

पेटेंट्स एवं कॉपीराइट्स, ई-जर्नल्स एवं संगणक सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्तियों के समूह में रखा गया है।

- 4.1 **पेटेंट्स :-** पेटेंट्स प्राप्त करने हेतु समय समय पर लगने वाले व्यय (आवेदन शुल्क, विधिक शुल्क इत्यादि) को आय और व्यय खाते में दर्ज किया जाता है। यदि पेटेंट स्वीकृत हो जाता है, तो उसे पूंजीकृत किया जाता है और परंपरागत रूप से 9 वर्षों की अवधि में बटटे खाते में डाला जाता है। मूल्यहास पेटेंट के पूंजीकरण वर्ष से लागू किया जाएगा।
- 4.2 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स (ई-जर्नल्स) को, ऑनलाइन प्रवेशाधिकार (एक्सेस) उपलब्ध कराने से प्राप्त हो सकने वाले सीमित लाभ को देखते हुए पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग रखा गया है। ई-जर्नल्स, मूर्त स्वरूप में नहीं होते हैं इसलिए इन्हें अस्थाई रूप से पूंजीकृत किया गया है। इनपर किए जाने वाले खर्च के परिमाण (Magnitude) एवं शैक्षिक तथा अनुसंधान स्टाफ की जानकारी में निरंतर वृद्धि के लाभ को देखते हुए इन पर पुस्तकालय की पुस्तकों पर किए जाने वाले 10% मूल्यहास की तुलना में अधिक दर से मूल्यहास का प्रावधान किया गया है जो कि 40% है।
- 4.3 संगणक सॉफ्टवेयर के अर्जन हेतु किए गए व्यय को संगणक एवं आनुषंगिक उपकरणों (Computers & Peripherals) के अर्जन हेतु किए गए व्यय से अलग रखा गया है क्योंकि इनके अमूर्त आस्ति (Intangible Asset) होने के अलावा इनके कालातीत (Obsolescence) होने की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर पर संगणक एवं आनुषंगिक उपकरणों पर किए जाने वाले 20% मूल्यहास की तुलना में अधिक दर से मूल्यहास का प्रावधान किया गया है जो कि 40% है।

5. सामग्री एवं भंडार

रसायन, कांच के सामान एवं अन्य भंडार सामग्री की खरीदी पर किए गए व्यय को राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के मद में लेखा किया गया है। इस मद का 31 मार्च 2024 को संस्थान में कोई अंतिम शेष नहीं है।



6. सेवानिवृत्ति लाभ

वर्ष के दौरान अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया गया है। संस्थान के ऐसे कर्मचारियों जिन्हें संस्थान में समाहित (Absorb) किया गया है, के पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त अवकाश नकदीकरण के पूंजीकृत मूल्य (Capitalized Value) की राशि को संबंधित प्रावधानों के खातों में जमा किया गया है। अवकाश नकदीकरण के वास्तविक भुगतानों को संबंधित प्रावधानों में खातों में डेबिट किया गया है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे – राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान इत्यादि को अर्जन आधार (Accrual basis) पर लेखा किया गया है। वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी के लिए प्रोवीजन बनाया गया है।

7. निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां

निम्नलिखित दीर्घकालिक निधियाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। कुछ निधियों का एक पृथक बैंक खाता होता है। बड़े बैलेंस वाले भी बैंकों के साथ टर्म डिपॉजिट में निवेश हैं। बचत बैंक खातों पर निवेश और ब्याज से होने वाली आय को संबंधित फंड में जमा किया गया है। व्यय को कोष से डेबिट किया गया, निर्धारित निधियों से सृजित परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व संस्थान में निहित है, को पूंजीगत निधि में समान राशि जमा करके संस्थान की संपत्ति के साथ मिला दिया। संबंधित निधियों में शेष राशि को आगे बढ़ाया गया और बैंक, निवेश और उपार्जित ब्याज में शेष राशि द्वारा संपत्ति पक्ष में दर्शाया गया है।

8. कॉर्पस फंड की स्थापना 2013 में दिनांक 11.10.2013 को बीओजी की 25 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार की गई थी। कंसल्टेंसी फीस में संस्थान का हिस्सा और अनुसंधान परियोजनाओं से योगदान को कॉर्पस फंड में अतिरिक्त माना गया।

फंड के निवेश से होने वाली आय को फंड में जोड़ा जाता है। समय-समय पर संस्थान के बीओजी द्वारा दिशानिर्देशों के आधार पर कॉर्पस फंड का उपयोग राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों के लिए किया जाता है। कॉर्पस फंड से बनाई गई संपत्ति को कैपिटल फंड में बराबर राशि जमा करके संस्था की संपत्ति में मिला दिया जाएगा। कॉर्पस फंड में शेष राशि जिसे आगे ले जाया जाता है, को अलग लेजर में शेष राशि द्वारा दर्शाया जाता है।

9. शासकीय अनुदान

- 9.1 पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की गई सीमा तक, (उपार्जन आधार पर) अनुदान को पूंजीगत निधि में स्थानांतरित किया गया।
- 9.2 राजस्व व्यय (उपार्जन आधार पर) को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदानों को उपयोग की गई सीमा तक वर्ष की आय के रूप में माना गया।
- 9.3 अप्रयुक्त अनुदान (ऐसे अनुदानों में से भुगतान किए गए अग्रिमों सहित) को आगे ले जाया गया और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

10. चिह्नित निधियों का निवेश एवं उनसे प्राप्त होने वाली ब्याज आय

ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज जमा हुआ और बकाया और ब्याज अर्जित किया गया, को संबंधित मदों में जोड़ा गया है तथा संस्थान की आय के रूप में नहीं माना गया।

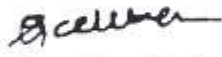


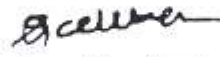
11. प्रायोजित परियोजनाएं

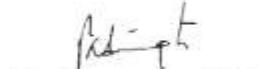
- 11.1 सतत चलने वाली प्रायोजित परियोजनाओं (Ongoing projects) में प्रायोजक (Sponsor) से प्राप्त राशि को “चालू देयताएं व प्रावधान-चालू देयताएं-अन्य देयताएं-सतत चलने वाली परियोजनाओं हेतु प्राप्त आगम” लेखा शीर्ष में जमा देते हुए लेखा किया गया है। जब भी वास्तविक व्यय हुआ/ या इन परियोजनाओं के पेटे अग्रिम का भुगतान किया गया या आवंटित उपरिव्यय (Allocated Overhead) प्रभारों से संबंधित परियोजना खाते को नामे किया गया है, वहां देयताओं को नामे करते हुए लेखा किया गया है।
- 11.2 संस्थान द्वारा स्वयं भी अध्येतावृत्तियां व छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है जिन्हें शैक्षिक व्यय (Academic Expenses) के अंतर्गत लेखा किया गया है।

12. आय कर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के अंतर्गत, संस्थान को आयकर से छूट है। इसलिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।


(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)


(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव


(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पं. द्वारका प्रसाद मिश्र
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर

अनुसूची 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु तैयार किए गए अंतिम खातों का भाग है

अनुसूची : 24
आकस्मिक देयताएं एवं खातो हेतु नोट

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 31.03.2024 को संस्थान के भूतपूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों एवं ठेकेदारों द्वारा न्यायालय में संस्थान के विरुद्ध दायर किए गए न्यायालयीन प्रकरण एवं ठेकेदारों से विवादों में मध्यस्थता (Arbitration) के प्रकरण निर्णय हेतु लंबित रहे। कर्मचारियों द्वारा दायर दावे (Suits) स्थापना (Establishment) से संबंधित थे जैसे पदोन्नति, वार्षिक वेतनवृद्धि, वेतनमान एवं बर्खास्तगी इत्यादि। दावों में निश्चित राशि का निर्धारण (Ascertain) किया जाना संभव नहीं है। मध्यस्थता प्रकरणों (9 प्रकरण) में मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय की दावा राशि रु. 5,94,66,900/- रही। 9 मामलों में से 5 मामलों की अपील मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ जिला सिविल कोर्ट में की गई है।
- 1.2 संस्थान के पक्ष में बैंक द्वारा जारी किए गए साखपत्रों (Letter of Credits) 31.03.2024 को शेष राशि रु. निरंक (0) रही। (पिछले वर्ष यह राशि रु. निरंक (0) थी)
- 1.3 आयकर अधिकारी (टीडीएस-द्वितीय) जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की मांग की गई एवं राशि रु. 1,04,16,528/- हेतु मांगपत्र जारी किया गया। यह अपील सीआईटी (अपील) जबलपुर के समक्ष दायर की गई थी जहां छात्रवृत्ति मामले पर संस्थान की अपील को स्वीकार कर शेष मांग को स्वीकार करके निर्णय लिया गया कि रु. 43, 83, 368/- को आईटीओ (टीडीएस) द्वारा 24-12-2014 को लीज लाइन कनेक्शन और ऑनलाइन पत्रिकाओं की सदस्यता हेतु था। संस्थान ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जबलपुर की मांग पर रोक लगाने के साथ-साथ सीआईटी (अपील) जबलपुर के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील दायर की थी। स्टे 04.04.2016 को प्रदान किया गया है। जिसके एवज में संस्थान ने एक लाख रुपये की राशि जमा कर दी है। 21,98,684/- पिछले वर्ष आईटीओ (टीडीएस-11) जबलपुर की मांग पर यह राशि खातों में चालू संपत्ति के रूप में रखी गई है।



2. पूंजीगत अभिवचन

31.03.2024 को पूंजीगत कार्यों से संबंधित ठेकों (Contracts), जो कार्यान्वित (Execute) नहीं हो पाए हैं, एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) (Net of Advances) के मूल्य की राशि रु. निरंक (0) रही। (पिछले वर्ष यह राशि रु. निरंक (0) थी)।

3. अचल आस्तियां

3.1 वर्ष के दौरान अनुसूची 04 में अचल संपत्तियों में परिवर्धन में खरीदी गई संपत्ति और पूंजीगत कार्य प्रगति पर है। राशि निरंक (0) के मूल्य की निर्धारित निधि और अन्य संपत्ति संस्थान को उपहार स्वरूप प्राप्त हुई। संपत्ति को कार्पस/पूंजीगत निधि में जमा करके स्थापित किया गया है।

3.2 31.03.2024 के तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं पूर्व वर्षों के तुलन पत्रों में अचल आस्तियां (Fixed Assets) योजना निधि से निर्मित की गई। वर्ष के दौरान योजना निधि से (व्यावसायिक विकास निधि (Professional Development Fund) से निर्मित आस्तियों को शामिल करते हुए), चिह्नित/वृत्ति निधि (Earmarked/Endowment Fund) से एवं अन्य सहायक (Subsidiary) खातों से जोड़ी गई आस्तियां तथा उन पर लगाए गए मूल्यह्रास (Depreciation) को अचल आस्तियों की मुख्य अनुसूची 04 की उप अनुसूची ए,बी,सी एवं डी में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है।

3.3 अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया, 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले खरीदी गई संपत्तियों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया एवं 30 सितंबर 2023 के बाद संपत्ति खरीद पर अर्धवार्षिक आधार पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

3.4 पिछले वर्षों में लगाए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास को वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है।

4. शासकीय अनुदान/सहायता

4.1 शासकीय अनुदान/सहायता का लेखा, वसूली/प्राप्ति आधार (Realization) पर किया गया है।

4.2 एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा रु. 66.23 करोड़ रुपये 29.36 करोड़ रुपये वेतन (योजना) के लिए और 27.65 करोड़ रुपये सामान्य व्यय के लिए एवं 9.22 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में स्वीकृत किए गए। वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के लिए कुल 66.23 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। उपलब्ध राशि में से, 64.12 करोड़ रुपये (वेतन-28.14 करोड़ रुपये, सामान्य व्यय-27.08 करोड़ रुपये, पूंजीगत संपत्ति 8.



90 करोड़ रुपये), मंजूरी शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया। अव्ययित राशि को वर्तमान देनदारियों की अनुसूची-03 के तहत देनदारियों के रूप में दिखाया गया है।

- 4.3 वित्त वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शीर्ष श्रेणी की शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के लिए 18.86 लाख/- रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था और पिछले वर्ष से 13.75 लाख रुपये का अव्ययित शेष था। उपलब्ध अनुदान में से वर्ष के दौरान रु. 21.99 लाख/- का उपयोग किया गया है। अव्ययित शेष अगले वित्तीय वर्ष में रु.10.76 लाख/- का उपयोग किया जाएगा।

5. संस्थान की आंतरिक रक्षित निधि

अधिशासी मंडल (Board of Governors) के अनुमोदन के अनुसार संस्थान द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्राप्त आय से स्वयं की आंतरिक रक्षित निधि निर्मित की गई है।

6. संस्थान की क्षमता एवं सामर्थ्य

	विवरण	आकड़े
i)	छात्र संख्या	2489
ii)	शिक्षकों हेतु स्वीकृत पदों की संख्या नियुक्तियां	204 68
iii)	अध्यापकों का वेतन ढांचा	पे लेवल 10 11 12 13 ए 1 13 ए 2 14 ए

7. छात्र शुल्क खाता

छात्रों से दिसंबर 2023-मार्च 2024 के दौरान अप्रैल-जून 2024 सेमेस्टर हेतु प्राप्त शुल्क का अर्जन आधार (Accrual basis) पर लेखा किया गया है। अतः वित्त वर्ष 2024-25 हेतु प्राप्त शुल्क रु. 698.87 लाख को अनुसूची 3 में चालू देयताओं में दर्शाया गया है।



8. जमा देयताएं

अमानत जमा (Earnest Money) एवं प्रतिभूति (Security) से प्राप्त एवं शेष रु. 120.97 लाख की राशि, अदावाकृत जमा (Unclaimed Deposits) है।

9. विदेशी मुद्रा में व्यय

- ए) यात्राएं
- बी) मानदेय आदि
- सी) ई-पत्रिकाएं
- डी) अन्य

10. चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम एवं जमाएं

प्रबंधन के मत में, चालू आस्तियों, ऋण, अग्रिम एवं जमाओं का रिलाइजेबल मूल्य, सामान्यतः (In ordinary course) कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई सकल राशि (Aggregate amount) के बराबर है।

11. विविध

- i) संबंधित पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, तुलना योग्य बनाने हेतु पुनः समूहबद्ध (Re-groupd) किया/जमाया (Re-arranged) गया है।
- ii) लेखापरीक्षा शुल्क (Audit Fee) हेतु प्रावधान किया गया है।
- iii) चिन्हित निधियों (Earmarked Funds) पर बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज को, संबंधित चिन्हित निधि के खाते में जमा किया गया है।
- iv) निम्नांकित सहायक (Subsidiary) खाते संस्थान के मुख्य खाते में शामिल किए गए।
 - ए) इ एवं आई सी टी खाता
 - बी) स्टार्टअप खाता
 - सी) क्यू आई पी
- v) निम्नलिखित सहायक खातों को सीए द्वारा अलग से तैयार और ऑडिट किया गया है
 - ए) निवास भवन 1 (Hall of Residence-1) का हॉल प्रबंधन खाता



बी) जिमखाना खाता

सी) पुस्तकालय (Library) खाता

- vi) परियोजना निधि, व्यावसायिक विकास निधि, हॉल प्रबंधन लेखा और छात्र लाभ खातों से पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित की गई हैं ।
- vii) संलग्न (Annexed) अनुसूची 01 से 24, 31.03.2024 के तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय-व्यय खाते का अविभाज्य भाग (Integral Part) है।
12. नई पेंशन योजना के खातों का स्वामित्व, संस्थान की बजाए, उस योजना के सदस्यों के पास ही है। इसलिए ये खाते संस्थान के खातों का भाग नहीं है। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु, नई पेंशन योजना संबंधी प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receipt & Payment Account), आय-व्यय खाता (Income & Expenditure Account) (अर्जन आधार (Accrual basis) पर) एवं तुलन पत्र (Balance Sheet) संस्थान के खातों के साथ संलग्न (Attach) किया गया है।

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
प्राप्ति और भुगतान खाता
वित्तीय वर्ष 2023.2024 के लिए

सं.क्र.	प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23	सं.क्र.	प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23
राशि रुपये में							
I. प्राथमिक शेष							
A) नकदी शेष				I. व्यय			
B) बैंक शेष				A) स्वल्प भुगतान और लाभ		16,86,56,504	1,74,44,291
i) एसबीआई अमुदतन खाता		2,36,669	2,37,318	B) शैक्षणिक व्यय		6,54,16,066	8,29,66,762
ii) इलाहाबाद बैंक छात्र शुल्क खाता -02		40,635	(3,77,14,636)	C) प्रशासनिक और समान्य व्यय		4,89,99,085	4,52,18,452
iii) इलाहाबाद बैंक छात्र शुल्क खाता		38,13,780	1,28,94,631	D) छात्रावास खर्च		33,52,761	24,14,011
iv) इलाहाबाद बैंक अमुदतन चालू खाता		8,18,829	1,81,774	E) मरम्मत और रख रखाव		57,72,848	61,46,121
v) आईएनएससी.ओएमएम 2021 खाता		60,035	66,523	F) वित्त लागत		59,454	12,535
a) इंडियन बैंक सर्व प्रोजेक्ट खाता		1,06,14,842	(4,40,705)				
b) भारतीय परियोजना खाता		2,09,86,170	(24,42,001)	II. निर्धारित/अनुव्ययित निधियों के विरुद्ध भुगतान		96,08,546	1,79,76,600
c) ई और आईसीटी अकादमी खाता		1,57,25,903	1,84,14,870	III. प्राप्त/अनुव्ययित परियोजनाओं/व्ययों के लिए भुगतान		93,14,017	40,32,599
d) स्टार्टअप खाता		5,958	5,797	IV. प्राप्त/अनुव्ययित ईसाईयत और इस्लाम के लिए भुगतान		5,39,000	3,20,000
e) एचआईवी एआईसीटीई खाता		6,95,577	30,91,726	A) सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप		1,53,77,490	28,41,440
vi) भारतीय अमुदतन वचत बैंक खाता		2,84,26,623	(2,14,40,116)	B) ग्रामीण छात्रवृत्ति			
vii) एसबीआई टिकट खाता		-	-	V. निवेश और उमा			
viii) एक्सिस बैंक		66,67,586	2,90,58,332	A) निर्धारित/अनुव्ययित निधियां			
ix) एचडीएफसी बैंक		15,47,192	-	B) स्वयं की निधियां में से (निवेश-अन्य)			
x) स्वीप सुविधा		1,65,19,829	23,49,60,363	VI. अनुव्ययित बैंकों के साथ सावधि उमा			
II. प्राप्त अमुदतन				A) निवेश और उमा		85,34,97,897	54,67,65,000
A) भारत सरकार से (एमएचआईडी) (योजना) - सामान्य		27,65,00,000	24,15,00,000	B) निवेश और उमा (सहायक खाते)			
भारत सरकार से (एमएचआईडी) (योजना) - पूंजीगत				VII. फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस पर व्यय			
B) संपत्ति के निर्माण के लिए		9,22,00,000	4,00,00,000	A) भवन संपत्तियों की खरीद		2,76,51,889	2,98,08,031
C) भारत सरकार से (एमएचआईडी) (योजना) - धेतन		29,36,00,000	27,50,00,000	B) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय			
				अन्य भुगतान			
				संश्लिष्ट			
III. शैक्षणिक शुल्क				VIII. वैधानिक भुगतान			
A) शैक्षणिक शुल्क		28,69,57,104	23,43,21,431	A) एसोसिएशन शुल्क (अन्य संस्थान)		-	3,000
B) हेल प्रथम खाता				B) जै.आई.एस (अन्य संस्थान)		-	25,000
				C) जै.पी.एफ (अन्य संस्थान)		-	1,57,523
				D) जै.एस.एल.आई.एस		3,12,875	3,19,166
				E) व्यावसायिक कर का भुगतान		2,94,408	9,90,824
				F) भ्रम कल्याण उपकर		4,60,91,501	4,41,16,551
IV. निर्धारित/अनुव्ययित निधियों की प्राप्तियां		79,42,461		G) नई पेशन			



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
प्राप्ति और भुगतान खाता
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए

सं.क्र..	प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23	सं.क्र..	प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23
V	प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्राप्तियां	1,65,51,063	2,67,62,923	M)	टीडीएस भुगतान	3,78,24,186	4,49,74,581
VI	प्रायोजित फैक्टोरिंग और छववृत्ति से प्राप्तियां			I)	ऑपरेटरी भुगतान	30,28,436	64,51,999
A)	सेटल सेक्टर स्कैलरशिप	19,00,640	33,56,460		अनुदानपरियोजना बाते की राशि की वापसी	66,49,007	-
B)	बाहरी छववृत्ति	1,64,04,030	16,17,020		जमा और अग्रिम		
				IX	सीपीडब्ल्यूडी भोगल		40,40,000
VII	निवेश पर आय			X	डिजिटल वेब वर्ल्ड		
A)	निर्धारित बंदोबस्तों निधि (ई रंड आईसीटी अकादमी)			A)	पीएचई यांत्रिक अग्रिम भुगतान		
B)	सावधि जमा	46,34,51,392	30,95,73,490	B)	रेक्स स्टॉप और अन्य के लिए अग्रिम		
C)	अन्य निवेश (सहायक खाते)	-	-	C)	डी की शेष लि	-	-
VIII	प्राप्त/अप्राप्ति व्याज			D)	स्टार्टप		
A)	प्राप्त व्याज	3,34,02,262	78,60,724	E)	एनआईसीएसआई के लिए अग्रिम	54,93,094	
B)	सावधि जमा पर अर्जित व्याज	20,78,592	-	F)	सुरक्षा जमा राशि	2,72,982	37,61,216
IX	निवेश बनाया गया			G)	इंग्रडी और पीबीजी	3,91,028	33,30,556
X	अनुसंचित बैंकों से सावधि जमा का नकदीकरण			H)	सुरक्षा जमा-एमपीकेवीसीएसएल	18,53,400	
A)	निवेश और जमा परिपक्व संस्थान			I)	डीएवीपी के लिए अग्रिम		
B)	निवेश और जमा परिपक्व ई एवं आईसीटी अकादमी			J)	अनुसूचक कार्यशाला के लिए अग्रिम		
	अन्य आय (पूर्व अवधि की आय सहित)						
XI				K)	टीएफआईआई के लिए अग्रिम		
A)	अन्य आय	53,29,559	20,50,934	L)	नवप्रवर्तन परियोजना को आगे बढ़ाना	-	-
				M)	अन्य भुगतान		
XII	जमा एवं अग्रिम			N)	होत प्रबंधन खाता	2,46,21,500	
A)	सुरक्षा जमा राशि	1,77,250	1,25,000	XI	छात्र लाभ खाता		
B)	इंग्रडी और पीबीजी	31,29,200	21,49,686	A)	विद्यार्थी सावधान धन	39,000	38,000
C)	सीएसएवी 2013 के लिए अग्रिम	-	-	B)	अतिरिक्त जमा शुल्क का भुगतान किया गया	67,77,594	7,20,33,214
D)	सुरक्षा जमा-एमपीकेवीसीएसएल (टेबेदार)			C)	पूर्व छात्र संघ उधमगतान		
E)	डीजीएसएडी द्वारा रिकवर्ड			D)	पीएस केवई फंड	-	-
F)	एमआईएनएनएनएसजी कार्यशाला से प्राप्तियां			E)	आयकर देय	-	-
G)	सीपीडब्ल्यूडी भोगल			F)	ऑनलाइन प्रकाशन	-	-
H)	स्टॉफ और अन्य के खर्च से अग्रिम	48,30,048	38,76,036	G)	अन्य व्यय	4,42,87,188	1,86,96,108



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
प्राप्ति और भुगतान खाता
वित्तीय वर्ष 2023.2024 के लिए

सं.क्र.	प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23	सं.क्र.	प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्व वर्ष 2022-23
	विशेष प्राप्ति संदिग्ध						
	XIII सार्वजनिक प्राप्ति						
	A) एसोसिएशन शुल्क (अन्य संस्थान)			M) प्राध्यापकों का भुगतान			14,92,31,425
	B) जौगईएस (अन्य संस्थान)			I) लेनदारों को भुगतान		16,16,97,745	22,47,42,144
	C) जौपीएफ (अन्य संस्थान)			J) समापन शेष			
	D) जौएसएसआईएस			K) नकदी शेष			
	E) वृत्ति कर	1,84,539	-	XII बैंक में जमा राशि			
	F) डब्ल्यूसीटी			A) (i) एसबीआई अन्दातन खाता		2,36,669	2,36,669
	G) श्रम कल्याण उपकर			B) (ii) इलाहाबाद बैंक छात्र शुल्क खाता		1,20,85,995	40,635
	H) नई पेशान प्रणाली			iii) इलाहाबाद बैंक छात्र शुल्क खाता		18,35,954	38,13,780
	I) टीडीएस	1,65,864	87,73,851	iv) इलाहाबाद बैंक अन्दातन चालू खाता		9,19,084	8,18,829
	J) विशेष लेनदार	3,41,505	4,06,930	v) INACOMM 2021 खाता		65,161	60,035
	K) झुंडा दिवस योगदान			vi) इलाहाबाद बैंक सर्व परियोजना खाता		94,58,160	1,06,14,842
	L) जौएसटी	7,99,822	13,96,623	vii) इलाहाबाद परियोजना खाता		1,69,82,795	2,09,86,170
	M) वित्तीय सेफ्टिफिकेट			viii) आई आई सीटी अकादमी खाता		50,667	1,57,25,903
	XIV अन्य प्राप्ति			ix) स्टार्टअप एसी		6,124	5,958
	A) एनपीएस व्याज एवं अन्य			x) क्यूआईपी एआईसीटीई		7,14,966	6,95,577
	B) अन्य रसीदें	4,31,17,826	4,20,72,983	xi) इलाहाबाद अन्दातन क्युन बैंक खाता		4,99,16,403	2,84,26,623
	C) छात्र को प्राय	-	-	xii) एसबीआई टिकट खाता		82,834	
	D) प्राय			xiii) एक्सिस बैंक		71,28,762	66,67,586
	E) कंप्यूटर के भुगतान के प्राप्ति			xiv) एचडीएफसी बैंक		65,67,082	15,47,192
	F) परियोजना परामर्श देय			xv) स्वीप सुविधा		-	1,65,19,829
				xvi) वीएच ईडियन बैंक		11,90,680	-
				XIII कोई अन्य भुगतान			
				ए) शुल्क प्राय छात्र		-	-
				बी) परियोजना खाते पर व्याज का भुगतान		-	-
				सी) देय व्यय		-	27,01,185
	कुल	1,65,51,22,806	1,43,77,17,962	कुल		1,65,51,22,806	1,43,77,17,962

Signature
(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

Signature
(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

Signature
(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

एनपीएस टीयर-1 खाता
31 मार्च 2024 को आर्थिक चिट्ठा

राशि रुपये में

दायित्व	राशि	संपत्ति	राशि
एनपीएस टीयर 1 खाता		एनपीएस टीयर 1 खाता	
प्रारंभिक जमा	28,27,830		
		कर्मचारी सदस्यता 2021-22 (प्राप्त करने योग्य)	0
कमी		संस्थान योगदान 2021-22 (प्राप्त करने योग्य)	0
कर्मचारी सदस्यता मार्च 2021-22	0		
संस्थान योगदान मार्च 2021-22	0		
वृद्धि :		निवेश	0
कर्मचारी सदस्यता	1,96,61,151		
संस्थान योगदान	2,75,25,611	ब्याज उपाजित लेकिन देय नहीं	0
		बैंक में शेष	39,23,091
वृद्धि : ब्याज का श्रेय	0		
कमी : एनएसडीएल को स्थानांतरित	(4,60,91,501)		
कुल	39,23,091	कुल	39,23,091

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

एनपीएस टियर-I खाता

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय एवं व्यय खाता

राशि रुपये में

व्यय	राशि	आय	राशि
ब्याज अभिदाता के खातों में जमा किया गया	0	निवेश पर अर्जित ब्याज	0
		बचत बैंक खाते पर अर्जित ब्याज	0
बैंक शुल्क	0	बैंक शुल्क	0
		ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	0
व्यय से आय की अधिकता	0		
कुल	0	कुल	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

एनपीएस टियर- I खाता

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

राशि रुपये में

रसीद	राशि	भुगतान	राशि
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	28,27,830	निवेश	0
NPS TIER-I ACCOUNT			
कर्मचारी सदस्यता	1,96,61,151	एनएसडीएल में निकासी/स्थानांतरण	4,60,91,501
संस्थान का योगदान	2,75,25,611	विरासत राशि का भुगतान	0
निवेश पर प्राप्त ब्याज	0		
		31.03.2023 को समापन शेष	39,23,091
बचत बैंक खाते पर ब्याज	0		
निवेश भुनाया गया	0		
कुल	5,00,14,592	कुल	5,00,14,592

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

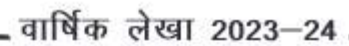
[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र
अनुदान (समेकित)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती एवं अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में: ₹ 00.00
 - (2) असमायोजित अग्रिम : ₹ 0.00
 - (3) कुल : ₹ 0.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान सामान्य (समेकित)

अव्ययित शेष राशि	अर्जित व्यय	सरकार को वापस जमा किया गया व्यय	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
	22,09,168	22,09,168	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	45,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	8,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	46,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	22,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	1,77,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	2,19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	4,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	1,03,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	45,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	8,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	1,77,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	38,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	4,43,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	21,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	2,48,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	2,66,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	2,22,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	19,00,000			



अनुदानों का घटक वार उपयोग:

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

(1) हाथ में नकदी/बैंक में :	00.00 ऋण प्रतिदेय
(2) असमायोजित अग्रिम :	निरंक
(3) कुल :	00.00



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवर्ती
अनुदान सामान्य (समेकित)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु : 00.00 ऋण प्रतिदेय
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु : निरंक
 - (3) कुल रु : 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान सामान्य (समेकित)

अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
	9,22,293	9,22,293	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	46,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	22,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	1,03,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	4,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	38,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	4,43,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	21,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	2,48,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	2,22,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	2,22,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	6,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	13,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	1,50,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	3,55,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	30,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	1,77,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	8,00,000			
-	9,22,293	9,22,293			27,65,00,000	27,65,00,000	27,07,95,752	57,04,247

अनुदानों का घटक वार उपयोग –

अनुदान सामान्य (समेकित)	अनुदान-वेतन	अनुदान-पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
27,07,95,752	-	-	27,07,95,752



वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में रू : 00.00 ऋण प्रतिदेय
- (2) असमायोजित अग्रिम रू : निरंक
- (3) कुल रू: 00.00

प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन / लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवर्ती
सामान्य अनुदान (सामान्य श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
 - (3) कुल रु: 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

सामान्य अनुदान (सामान्य श्रेणी)

अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-	-	-						
	8,17,888	8,17,888	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	1,03,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	4,43,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	2,48,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	2,22,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	2,22,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	1,50,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	3,55,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	1,77,00,000			
-	8,17,888	8,17,888			24,52,00,000	24,52,00,000	20,98,66,708	3,53,33,291

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य (सामान्य श्रेणी)	अनुदान – वेतन	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
20,98,66,708	-	-	20,98,66,708



वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में : रु 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम : निरंक
- (3) कुल : 00.00

प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवर्ती
सामान्य अनुदान (अनुसूचित जाति श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00 ऋण प्रतिदेय
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु : निरंक
 - (3) कुल रु : 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

सामान्य अनुदान (अनुसूचित जाति श्रेणी)								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-	-	-						
	70,047	70,047	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	46,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	38,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	21,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	13,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	30,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	15,00,000			
-	70,047	70,047			2,10,00,000	2,10,00,000	4,06,19,362	-1,96,19,362

अनुदानों का घटक वार उपयोग :

अनुदान सामान्य (अनुसूचित जाति श्रेणी)	अनुदान – वेतन	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
4,06,19,362	-	-	4,06,19,362



वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
- (3) कुल रु: 00.00

प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन / लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवर्ती
सामान्य अनुदान (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00 ऋण राशि प्रतिदेय
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
 - (3) कुल रु: 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

सामान्य अनुदान (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-	-	-						
	34,356	34,356	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	22,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	4,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	6,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	8,00,000			
-	34,356	34,356			1,03,00,000	1,03,00,000	2,03,09,681	-1,00,09,681

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)	अनुदान – वेतन	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
2,03,09,681	-	-	2,03,09,681

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम : निरंक



(3) कुल रु: 00.00

प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवर्ती
अनुदान- वेतन (समेकित)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
 - (3) कुल रु: 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान- वेतन (समेकित)								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-	-	-						
	9,79,332	9,79,332	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	45,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	2,19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	45,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	2,66,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	2,66,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	2,66,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	13,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	7,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	1,57,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	2,69,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	12,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	8,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	96,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	4,00,000			
-	9,79,332	9,79,332			29,36,00,000	29,36,00,000	28,13,90,016	1,22,09,984

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन (समेकित)	अनुदान-पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
-	28,13,90,016	-	28,13,90,016



वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
- (3) कुल रु: 00.00

प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवर्ती
अनुदान- वेतन (सामान्य श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00 ऋण राशि प्रतिदेय
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
 - (3) कुल रु: 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान- वेतन (सामान्य श्रेणी)								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-	-	-						
	8,68,256	8,68,256	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	2,19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	5,32,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	2,66,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	2,66,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	2,66,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	1,57,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	2,69,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	96,00,000			
-	8,68,256	8,68,256			26,03,00,000	26,03,00,000	21,80,77,262	4,22,22,737

अनुदानों का घटक वार उपयोग :

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन (सामान्य श्रेणी)	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
-	21,80,77,262	-	21,80,77,262

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
- (3) कुल रु: 00.00



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवर्ती
अनुदान- वेतन (अनुसूचित जाति श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु : 00.00 ऋण राशि प्रतिदेय
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
 - (3) कुल रु: 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान- वेतन (अनुसूचित जाति श्रेणी)								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
	74,050	74,050	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	45,00,000			
			55-2/2023-TS-1	06-06-2023	19,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	45,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	13,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	8,00,000			
-	74,050	74,050			2,22,00,000	2,22,00,000	4,22,08,502	-(2,00,08,502)

अनुदानों का घटक वार उपयोग :

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन (अनु. जाति श्रेणी)	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
-	4,22,08,502	-	4,22,08,502

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में : 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम : निरंक
- (3) कुल : 00.00



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आरंभ निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – आवर्ती

अनुदान- वेतन (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00 ऋण राशि प्रतिदेय
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
 - (3) कुल रु: 00.00

4- प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान- वेतन (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-	37,025	37,025	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	23,00,000			
			55-2/2023-TS-1	12-09-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	03-11-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-12-2023	7,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	12,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	11,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	4,00,000			
-	37,025	37,025			1,11,00,000	1,11,00,000	2,11,04,251	(1,00,04,251)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन (अनु. जनजाति श्रेणी)	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
-	2,11,04,251	-	2,11,04,251

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में : 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम : निरंक
- (3) कुल : 00.00



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आरंभ निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – अनावर्ती
अनुदान – पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण – समेकित

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00 ऋण राशि प्रतिदेय
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: 0.00
 - (3) कुल रु: 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान – पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण – समेकित								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
	3,07,542	3,07,542	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	1,77,00,000			
-	-	-	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	19-05-2023	8,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	8,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	1,77,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	89,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	7,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	4,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	2,14,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	18,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	1,60,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	14,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	7,00,000			
-	3,07,542	3,07,542			9,22,00,000	9,22,00,000	8,89,70,054	32,29,945

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन	अनुदान – पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (समेकित)	कुल
-	-	8,89,70,054	8,89,70,054

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में : 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम : निरंक
- (3) कुल : 00.00



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – अनावर्ती
अनुदान – पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण – सामान्य श्रेणी

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: 0.00
 - (3) कुल रु: 00.00
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण – सामान्य श्रेणी								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-								
	2,72,518	2,72,518	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	1,77,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	1,77,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	89,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	2,14,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	1,60,00,000			
-	2,72,518	2,72,518			8,17,00,000	8,17,00,000	6,89,51,791	1,27,48,208

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन	अनुदान – पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (सामान्य श्रेणी)	कुल
-	-	6,89,51,791	6,89,51,791

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 00.00
- (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
- (3) कुल रु: 00.00



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – अनावर्ती
अनुदान – पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण – अनुसूचित जाति श्रेणी

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में : 00.00
 - (2) असमायोजित अग्रिम : 0.00
 - (3) कुल : 0.00

4- प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान – पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण – अनुसूचित जाति श्रेणी								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-								
	18,012	18,012	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	7,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	18,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	14,00,000			
-	18,012	18,012			54,00,000	54,00,000	1,33,45,508	-79,45,508

अनुदानों का घटक वार उपयोग :

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन	अनुदान – पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (अनु. जाति श्रेणी)	कुल
-	-	1,33,45,508	1,33,45,508

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में : 0.00
- (2) असमायोजित अग्रिम : निरंक
- (3) कुल : 0.00



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र – अनावर्ती
अनुदान – पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण – अनुसूचित जनजाति श्रेणी

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 0.00 ऋण राशि प्रतिदेय
 - (2) असमायोजित अग्रिम रु: 0.00
 - (3) कुल रु: 0.00

4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान – पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण – अनुसूचित जनजाति श्रेणी								
अव्ययित शेष राशि	अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	स्वीकृति आदेश	दिनांक	राशि	कुल निधि	व्यय	समापन शेष
-	-							
	17,011	17,011	55-2/2023-TS-1	19-05-2023	8,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	8,00,000			
			55-2/2023-TS-1	09-08-2023	15,00,000			
			55-2/2023-TS-1	27-10-2023	4,00,000			
			55-2/2023-TS-1	07-02-2024	9,00,000			
			55-2/2023-TS-1	13-03-2024	7,00,000			
-	17,011	17,011			51,00,000	51,00,000	66,72,754	-15,72,754

अनुदानों का घटक वार उपयोग :

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन	अनुदान – पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (अनु. जनजाति श्रेणी)	कुल
-	-	66,72,754	66,72,754

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) हाथ में नकदी/बैंक में रु: 0.00
- (2) असमायोजित अग्रिम रु: निरंक
- (3) कुल रु: 0.00



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों /खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन /लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी है।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(भारतेन्दु कुमार सिंह)
निदेशक



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली
शाखा- ग्वालियर, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर, मध्यप्रदेश -474002
(फोन: 0751-2321459, ईमेल आईडी-brdgacrgwalior@cag.gov.in)

क्रमांक AMG-11/SAR/PDPMIIITDMJ/2023-24/D-66

दिनांक: 24.12.2024

प्रति,

निदेशक,

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी,

अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान (PDPM-IIITDMJ),

डुमना एयरपोर्ट रोड, पी.ओ. खमरिया, जबलपुर-482005

ई-मेल आईडी-director@iiitdmj.ac.in और registrar@iiitdmj.ac.in

विषय:- पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान (पीडीपीएम-ट्रिपलआईटीडीएम), जबलपुर के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीआर/138236)

महोदय,

1. कृपया पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान (ट्रिपलआईटीडीएम), जबलपुर (म.प्र.) के वर्ष 2023-24 के खातों पर अलग से ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित करें कि एसएआर और ऑडिट किए गए खातों को संसद के समक्ष रखने से पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अपनाया जाए।
2. कृपया उपरोक्त रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने की तारीखों की सूचना दी जाए तथा मुद्रित सामग्री की दो प्रतियां सूचनार्थ इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएं।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रबंधन पत्र संसद के समक्ष नहीं रखा जाएगा।
4. कृपया प्राप्ति सूचना अवश्य दें।

संलग्न : 1. पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं अनुलग्न (SAR)
2. प्रबंधन पत्र

भवदीय

उप-निदेशक (केन्द्रीय)



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

1. हमने 31 मार्च 2024 तक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम), जबलपुर की संलग्न बैलेंस शीट; उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाता का ऑडिट किया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के साथ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 30 (3) के तहत। ये वित्तीय विवरण पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियम और विनियमन (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षण की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है। लेखापरीक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- (ii) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां और भुगतान खाता शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में आदेश संख्या 29-4/2012-आईएफडी दिनांक 17 अप्रैल 2015 के अनुसार तैयार किया गया है।
- (iii) हमारी राय में, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम द्वारा उचित लेखा पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।
- (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

**अ. तुलन पत्र****1. निधियों का उपयोग****1.1 चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-3) - रु. 53.39 करोड़**

1.1.1 इसमें 2.64 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, जो सीपीडब्ल्यूडी को पूंजी खाते पर दिए गए अग्रिम हैं, लेकिन वर्ष के अंत में असमायोजित रह गए हैं। अनुदान-सहायता से मिले असमायोजित अग्रिमों को अनुदान-सहायता के अप्रयुक्त शेष के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें कॉर्पस/पूंजी निधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया और कॉर्पस/पूंजी निधि को 2.64 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया। पिछले एसएआर (2020-21, 2021-22 और 2022-23) में भी इस ओर ध्यान दिलाया गया है, हालाँकि, यह समस्या अभी भी बनी हुई है।

1.1.2 इसमें 2.38 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, जो मार्च 24 के महीने के वेतन (2.07 करोड़ रुपये) के लिए किए जाने वाले प्रावधान हैं। पीएचसी को दवा (रु. 1.73 लाख), मानदेय (रु. 20.50 लाख), परिवहन व्यय (रु. 1.27 लाख), टेलीफोन व्यय (रु. 2.34 लाख), टीए/डीए व्यय (रु. 2.42 लाख), वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आतिथ्य व्यय (रु. 0.53 लाख), परामर्श व्यय (रु. 0.86 लाख रुपये) और विविध व्यय (रु. 1.32 लाख) क्योंकि इनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ व्यय में रु. 2.38 करोड़ की कमी आई।

2. निधि का उपयोग**2.1 अचल संपत्तियां रु. 313.70 करोड़**

इसमें ई-जर्नल्स पर मूल्यहास राशि के रूप में रु. 0.63 करोड़ शामिल हैं, जैसे (i) ईएसएस लाइसेंस पैकेज (लागत रु. 22,96,838/-) और (ii) साइंस डायरेक्ट कलेक्शन (लागत रु. 1,10,32,982/-) जिसके लिए सदस्यता अवधि क्रमशः 01.03.2022 और 01.01.2023 से शुरू हुई। हालाँकि, इन ई-जर्नल्स को केवल वित्त वर्ष 2023-24 (अक्टूबर से मार्च 2024) में फिक्स्ड एसेट्स में जोड़ा गया था और तदनुसार संस्थान की लेखा नीति के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति पर अर्धवार्षिक आधार पर 40 प्रतिशत की दर से मूल्यहास लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और संस्थान की अपनी लेखांकन नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यहास (पूर्व अवधि के व्यय/मूल्यहास) को कम दिखाया गया और अचल संपत्तियों के साथ-साथ कॉर्पस/पूंजीगत निधि को 0.63 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया।

बी. आय और व्यय खाता**1. व्यय**



1.1 स्टाफ भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय) - रु. 28.14 करोड़

इसमें मार्च 2023 के महीने के लिए वेतन और एनपीएस के लिए नियोक्ताओं के अंशदान पर होने वाले 1.95¹ करोड़ रुपये शामिल हैं, लेकिन इसे चालू वर्ष के व्यय में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और पूर्व अवधि के व्यय को 1.95 करोड़ रुपये कम करके दिखाया गया।

सी. सामान्य

संशोधित लेखा प्रारूप के अनुसार, एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए वर्ष के अंत तक प्रावधान किया जाना है। इस संबंध में, हर साल 31 मार्च को एक्चुरियल मूल्यांकन प्राप्त किया जाना है। इसके लिए, आईसीएएल द्वारा जारी एस-15 के अनुसार योग्य एक्चुररी की सेवाओं की आवश्यकता होगी। हालांकि, उपरोक्त के उल्लंघन में, संस्थान ने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार की गई गणना शीट के आधार पर अपने खातों की पुस्तकों 2023-24 (Sch.-3) में ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए रु. 9,23,77,967/- और रु. 12,26,54,478/- का प्रावधान किया। एक्चुरियल मूल्यांकन के अभाव में, प्रावधानित के कम / अधिक प्रावधान की संभावनाएं राशि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

उपरोक्त टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव यह है कि देनदारियां, व्यय और पूर्व अवधि व्यय क्रमशः रु. 175.00 लाख, रु. 43.00 लाख कम बताए गए हैं और रु. 258.00 लाख क्रमशः और संपत्ति रु. 63.00 लाख अधिक बताई गई थी।

डी. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पृथक से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से निदेशक, पंडित द्वारा प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के संज्ञान में लाया गया है।

ई. अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएंडएम, जबलपुर को रु. 66.23 करोड़ (रु. 57.01 करोड़ राजस्व और रु. 9.22 करोड़ पूंजी) का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष की शुरुआत में इसके पास जीआईए का 'शून्य' शेष था। इस प्रकार, रु. 66.23 करोड़ के कुल उपलब्ध जीआईए में से रु. 64.12 करोड़ (रु. 8.90 करोड़ पूंजीगत व्यय और रु. 55.22 करोड़ राजस्व व्यय) की राशि का उपयोग किया गया, जिससे

1. वेतन (शैक्षणिक) - रु. 1,30,85,234/-
वेतन (गैर-शैक्षणिक) - रु. 41,82,630/-
एनपीएस (शैक्षणिक) - रु. 17,07,073/-
एनपीएस (गैर-शैक्षणिक) - रु. 5,25,632/-



वर्ष के अंत में रु. 2.11 करोड़ (रु. 1.79 करोड़ राजस्व और रु. 0.32 करोड़ राजस्व) का अनुदान-सहायता का अप्रयुक्त शेष रह गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, संस्थान ने वर्ष के दौरान जी.आई.ए. पर रु. 22,09,168/- का ब्याज भी अर्जित किया है, जिसे 'वर्तमान देयताओं और प्रावधानों (अनुसूची-3) के अंतर्गत देयता' के रूप में दर्शाया गया है।

- (v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
- (vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:
- (क) जहां तक यह बैलेंस शीट से संबंधित है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर की 31 मार्च 2024 तक की स्थिति और;
- (ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान :

तारीख :

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति)



अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

संस्थान में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना की गई है। हालांकि, सभी विंगों की आंतरिक लेखापरीक्षा सभी आवश्यक पहलुओं में नहीं की गई थी, केवल भुगतान के समय वाउचर की लेखापरीक्षा की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त पाई गई:

- (i) उपभोग्य सामग्रियों के स्टॉक का मदवार उच्चतम एवं निम्नतम स्तर निर्धारित एवं अनुरक्षित नहीं किया गया है।
- (ii) अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 12 निरीक्षण रिपोर्टों के संबंध में 04/2008 से 11/2023 की अवधि से संबंधित 51 पैरा लंबित थे।
- (iii) पिछले एसएआर (2022-23) के साथ-साथ प्रबंधन पत्र (2022-23) की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी, क्योंकि एसएआर की टिप्पणी संख्या ए.1/1.1, बी.2 और प्रबंधन पत्र की टिप्पणी संख्या ए.2, ए.4, ए.5, ए.6, बी.7 और बी.8 के संबंध में उचित सुधारात्मक कार्रवाई अभी भी लंबित है।
- (iv) संबंधित पक्षों से देनदारों / ऋणों और अग्रिमों की पुष्टि नहीं ली गई।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

2023-24 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

4. स्थायी इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

2023-24 के दौरान इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया।

5. वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में देय एनपीएस के लिए रु. 39,23,091/- का भुगतान और श्रम कल्याण उपकर के लिए रु. 73,074/- और व्यावसायिक कर के लिए रु. 2,625/- का भुगतान 31.03.2024 तक लंबित था।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/एएमजी-2